एक देश
एक संविधान

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

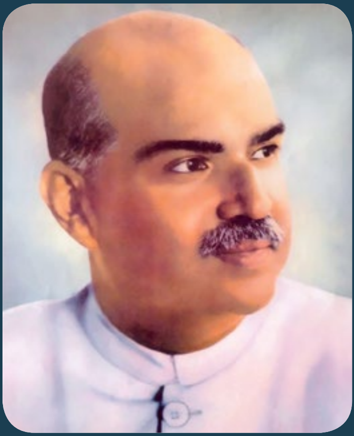

एक देश में दो विधान, दो प्रधान व दो निशान नहीं चलेंगे।

–डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

अनुच्छेद 370 एवं 35ए की समाप्ति पर वक्तव्य

प्रधानमंत्री जी – आपका हार्दिक अभिनन्दन। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत साहसिक एवं एतिहासिक निर्णय। श्रेष्ठ भारत –एक भारत का अभिनन्दन।

— सुषमा स्वराज

अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के अंतर्गत विशेष दर्जा प्रदान करने की ऐतिहासिक भूलों की देश को राजनीतिक और वित्तीय, दोनों रूप से कीमत चुकानी पड़ी। आज, जब इतिहास को नए सिरे से लिखा जा रहा है, उसने ये फैसला सुनाया है कि कश्मीर के बारे में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दृष्टि सही थी और पंडित जी की नीति विफल साबित हुई है।

– अरुण जेटली

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

एक देश - एक संविधान

सितम्बर, 2019

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन
9, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

प्रस्तावना

एक राष्ट्र के इतिहास में विरले ही ऐसे क्षण होते हैं जब एक अद्भुत निर्णय से उसका प्रारब्ध तय होता है। ऐसे निर्णयों से इतिहास की धारा और राष्ट्र की यात्रा एक नई ऊर्जा एवं आत्मविश्वास से अनुप्राणित हो उठती है। इससे ऐसे भविष्य के प्रति एक आशा और विश्वास का संचार होता है जिसमें अनेक सफलताओं एवं उपलब्धियों की गाथा लिखी जाती है। जब ऐसे अद्भुत निर्णय लिये जाते हैं तब इसका प्रभाव समस्त राष्ट्र जीवन पर पड़ता है। पूरा राष्ट्र जीवन इस प्रभाव से मानो बसन्त के नए पुष्पों एवं पल्लवों से सुवासित हो उठता है। धारा 370 एवं 35ए की समाप्ति तथा जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन भारत के इतिहास में वैसा ही एक अद्भुत निर्णय है। यह वैसा निर्णय है जिसका समस्त राष्ट्र को दशकों से इंतजार था, परन्तु जिस तरह के राजनैतिक वातावरण से पूरा देश ग्रसित था उसमें यह दुष्कर ही नहीं असंभव सा प्रतीत होता था। ऐसे ऐतिहासिक निर्णय के लिए अत्यधिक दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति तथा एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो आत्मविश्वास से परिपूर्ण और दृढ़ निश्चयी हो। जैसे ही यह निर्णय लिया गया और जिस क्षण संसद ने इसपर विचार कर इसे भारी बहुमत से दोनों सदनों में पारित किया, पूरे राष्ट्र ने एकजुट होकर इसका उत्सव मनाया। इतिहास के पन्नों में ये क्षण स्वर्णाक्षरों में अंकित हो चुके हैं।

जम्मू-कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय का मार्ग धारा 370 से प्रशस्त हो सकता है, इसपर शुरू से भारी शंका रही है। हालांकि संविधान में इसे 'अस्थाई' प्रावधान के रूप में रखा गया था परन्तु इसे एक ऐसा अनावश्यक 'छूट' के रूप में देखा जाता रहा है जिससे इस प्रदेश की प्रगति एवं विकास तक बाधित रही है। अनुभव यह बताते हैं कि इससे न केवल राज्य का देश में पूर्ण विलय में रूकावटें खड़ी हुईं बल्कि अलगाववादी-आतंकवादी गतिविधियों ने आग में घी की तरह काम किया। इससे शेष भारत की तुलना में जम्मू-कश्मीर विकास की दौड़ में पिछड़ता भी गया। सात दशकों से भी अधिक समय तक इसके बने रहने से समस्याएं और भी अधिक विकट हो गईं। जिससे आम जन को भयंकर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा तथा लगभग 41,849 लोगों को आतंकवादी हिंसा में अपनी जान गंवानी पड़ी। परन्तु यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में इस धारा के समर्थकों का एक गुट है जो अब भी धारा 370 एवं 35ए के समाप्ति के ऐतिहासिक निर्णय को स्वीकार नहीं कर पाये हैं। यह गुट एक ऐसे 'यथास्थितिवादिता' से ग्रसित है जिसे लगता है सबकुछ बर्बाद हो चुका है- लोकतंत्र से लेकर संविधान तक, यहां तक कि संघवाद, पंथनिरपेक्षता आदि भी अब नहीं बचा। आज जब धारा 370 एवं 35ए से प्राप्त अनुभवों की वास्तविकता स्वीकार करने को वो तैयार नहीं है, इसके प्रति जो इनका मोह है उस कारण वे किसी विकल्प पर भी विचार को तैयार नहीं। जो जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार की नई दृष्टि की आलोचना कर रहे हैं, वे निःसंदेह अनीति के शिकार हैं।

अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वालों का मुख्य तर्क है कि जम्मू-कश्मीर राज्य अपने विशेष इतिहास के कारण विशेष राज्य का दर्जा पाने का हकदार है। लेकिन ऐसा कहने वाले इस बात को भूल जाते हैं कि भारत जितना विशाल देश है उतनी ही विविधता अपने में समाविष्ट किए हुए हैं। ऐसे में इस देश के हर क्षेत्र का अपना एक इतिहास और विशिष्टता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जम्मू-कश्मीर का अपना एक इतिहास है, लेकिन ऐसे ही अन्य क्षेत्रों का भी अपना इतिहास है जो उन्हें विशिष्ट बनाता है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये विशिष्टता अकेले नहीं आती, बल्कि साझा इतिहास और सांस्कृतिक एकजुटता इसे विशिष्ट बनाती है और इस मामले में जम्मू-कश्मीर

कोई अपवाद नहीं है। कश्मीरियत का एक ऐसी सांस्कृतिक इकाई के रूप में चित्रण किया जा रहा है, जिस पर कोई खतरा मंडरा रहा है और इसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है। कश्मीरियत का मामला न केवल एक विशेष घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया है, बल्कि ऐसा करके जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता को भी कम किया जा रहा है। यदि कश्मीरियत वैचारिक तौर पर इस पूरे क्षेत्र में समावेशी अपील के साथ एक बाध्यकारी शक्ति है, तो यह पूरे भारत के साथ समाविष्ट क्यों नहीं हो सकती है? वास्तव में विशेष दर्जे की मांग करने वालों को स्वयं यह विश्वास नहीं है कि 'कश्मीरियत' एक समावेशी संस्कृति है। लेकिन अवचेतन रूप से वे इसे एक विशेष और घाटी-केंद्रित संस्कृति के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि संरक्षणवाद की नीति को संजोए रखने के अलावा उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है।

अनुच्छेद 370 और 35ए के मामले में निरंतर यथास्थिति बनाए रखने के प्रयासों ने कश्मीरी जनता का काफी नुकसान किया है। यह प्रावधान न केवल उनका नुकसान कर रहा है, बल्कि उनकी भारतीयता और उनके भारत का हिस्सा होने की भावना के साथ भी खिलवाड़ पर आधारित है। अनुच्छेद 370 और 35ए के समर्थक ऐसे लोग जो बहिष्कारवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, वह जम्मू-कश्मीर की जनता को भारतीय मानने को तैयार नहीं है और उनको केवल सब्सिडी और रियायत के माध्यम से भारत में बनाए रखाने के नजरिए का समर्थन करते हैं। उनके लिए यह कल्पना करना असंभव है कि कश्मीर को पूरी तरह से भारत में एकीकृत किया जा सकता है और अगर इस तरह के एकीकरण का प्रयास किया जाता है, तो वे भारत के लिए ही खतरा देखते हैं।

क्या यह स्थिति घृणित भय का एक विकृत चित्रण है जो उस वर्ग को कंपित करता है! यह न केवल एक डर है, बल्कि कश्मीर के लोगों और बल्कि यूं कहें तो पूरे भारत के एक वर्ग पर भारी अविश्वास है। यह वास्तव में उन लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है, जिनके हितों की बात यह समूह करता है। यह लोग मानते हैं कि भारत के अन्य हिस्सों के विपरीत, कश्मीर भारतीय संप्रभुता के दायरे से परे है और इस हिस्से पर भारतीय कानून लागू करने से देशभर में उथल-पुथल हो सकती है। इस तरह की शरारती धारणाओं का उद्देश्य केवल भारतीय राष्ट्र के अस्तित्व पर संदेह कर, लोगों के एक वर्ग के समक्ष गलत तस्वीर प्रस्तुत करना है।

देश में बुद्धिजीवियों का एक वर्ग ऐसा भी है जो संसद और कानून बनाने के उसके अधिकार को भी लोकतंत्र के नाम पर चुनौती देने से भी बाज नहीं आता है। ऐसे ही कुछ प्रश्न उस समय उठाए गए, जब संसद ने संविधान में संबंधित संशोधन कर अनुच्छेद 370 और 35ए के कुछ अंशों को हटाने के लिए विधेयक पारित किया और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया। शरारती मानसिकता के साथ यह तर्क बहुत बार दिया जाता है कि लोकतांत्रिक मानदंडों को लोगों के साथ सीधे संवाद की आवश्यकता होती है। जबकि लोगों के साथ 'संवाद' एक अस्पष्ट विचार बना हुआ है क्योंकि न तो 'लोग शब्द' और न ही 'प्रत्यक्ष संवाद' का तंत्र परिभाषित या स्पष्ट रूप से मौजूद है। इन 'उत्कृष्ट विचारों' की अस्पष्टता के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी होती है, किसी भी कार्रवाई को कलंकित किया जाता है और समाधान की बात करने वाले किसी भी प्रयास को नुकसान पहुंचाया जाता है। लोकतंत्र के नाम पर एक निर्वाचित सरकार के अधिकारों पर सवाल उठाए जाते हैं। लोकतंत्र के नाम पर, संसद के अधिकार पर सवाल उठाया जाता है, संविधान को चुनौती दी जाती है और यहां तक कि कानून को बनाए रखने वाली न्यायपालिका को भी निशाना बनाया जाता है।

ये 'जनतांत्रिक बौद्धिक' कोई मानदंड नहीं जानते हैं, संवैधानिक और कानूनी स्वामित्व का पालन करने से इनकार करते हैं, कोई नैतिक दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं - और यह सब लोकतंत्र के नाम पर है। यह दोहराया जाना चाहिए कि लोकतंत्र मानदंडों और संवैधानिक तंत्र के भीतर कार्य करता है, जिसको संस्थानों के माध्यम से वैधता प्रदान की जाती हैं। यह ध्यान रखना होगा कि लोकतंत्र को 'भीड़तंत्र' के माध्यम से चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और भारत में लोगों की इच्छाओं का पालन संसद और निर्वाचित सरकार करेगी, न कि कुछ लोगों का समूह इसका निर्णय करेगा।

हमारे संसदीय लोकतंत्र में, बहस और चर्चा को इसकी जीवन रेखा माना गया है जब तक यह लोकतांत्रिक लोकाचार और सिद्धांतों के दायरे में रहती है। लेकिन भारतीय संविधान, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक-राजनीतिक नैतिकता और लैंगिक न्याय की शपथ लेने वाले लोग, अनुच्छेद 370 और 35 ए के अत्यधिक भेदभावपूर्ण और अस्थायी प्रावधानों का समर्थन करते हैं। लद्दाख और जम्मू क्षेत्रों की दुर्दशा, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और पीओके एवं पश्चिम पंजाब के शरणार्थियों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करना, समाज के विभिन्न वर्गों को बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करना, राज्य में एक बड़े वर्ग पर हुए अन्याय की बात करता है। एक बार को हम कश्मीरी पंडितों के साथ हुए पूर्वाग्रह को कुछ समय के लिए छोड़ दें, तो भी उदारवाद के तथाकथित समर्थक सार्वजनिक तौर पर इन अत्यधिक भेदभावपूर्ण और अमानवीय प्रावधानों पर सवाल उठाने में विफल रहे हैं। इन आपराधिक विक्षेपों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के स्थान पर उन्होंने केवल कश्मीर में 'सैन्य कब्जे' के झूठा प्रचार को ही प्रचारित करने की राह को चुना। वे इस हद तक दावा कर रहे हैं कि अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाने का फैसला राज्य में मुस्लिम बहुलता को समाप्त करने का एक प्रयास है। क्या धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है - क्या भारत में मजहबी राज्य हैं? यह धर्मनिरपेक्षता के ताने-बाने पर सीधा हमला करने वाला है और अगर इस तरह की दलीलें दी जाती हैं एवं धर्मनिरपेक्षता के ऐसे विकृत संस्करण को स्वीकार किया जाता है, तो 'धर्मनिरपेक्षता का विचार' इस तरह के भ्रामक धोखे का पहला शिकार हो सकता है।

सांप्रदायिक चश्मे से अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त करने के फैसले को देखना एक बड़ी गलती होगी। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कई हितधारकों के साथ बड़ी संख्या में मुद्दों को जोड़ा गया है। अगर लद्दाख आज फैसले का स्वागत कर रहा है तो निस्संदेह यह निर्णय हमारे संविधान में संघवाद के विचार को पोषित करता है। यदि यह निर्णय जम्मू और कश्मीर में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, शरणार्थियों और विभिन्न अन्य अल्पसंख्यकों को समान अधिकार सुनिश्चित कर रहा है, तो निस्संदेह इसका उद्देश्य क्षेत्र में संवैधानिक प्रावधानों की पवित्रता की रक्षा करना है। वास्तव में यह फैसला सुनिश्चित करता है कि राज्य में अब संवैधानिक-राजनीतिक नैतिकता लागू है और लोग संविधान के तहत प्राप्त अधिकारों का लाभ ले सकते हैं। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर, कयामत की बात करने वाले एक वर्ग ने जमीनी हकीकतों को नजरअंदाज करते हुए विनाशकारी परिणामों के बारे में चेतावनी दी है, जिन्होंने इस क्षेत्र की आंतरिक विविधता एवं जटिल को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया है। जम्मू-कश्मीर समस्या को एक सांप्रदायिक सवालों के कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है। कमजोर और अविवेकपूर्ण दृष्टिकोण ने लंबे समय से

अनकहा दुःख झेल रहे लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है। यह पहली बार है कि समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ एक साहसिक निर्णय लिया गया है जो इस क्षेत्र में समानता, सद्भाव, समृद्धि, शांति और विकास ला सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के पक्ष में हमेशा एक व्यापक सहमति भारत में बनी हुई थी। यह व्यापक सहमति उस भारी बहुमत में भी स्पष्ट है, जिसके माध्यम से संसद ने इस ऐतिहासिक निर्णय के पक्ष में मतदान किया है और यह भारी बहुमत राजनीतिक दलों के बड़े वर्ग से आने वाले समर्थन का परिणाम है जिन्होंने संसद के दोनों सदनों में इस महत्वपूर्ण निर्णय से संबंधित प्रस्ताव और विधेयकों का जोरदार समर्थन किया। अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने के फैसले का विरोध कर कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने घोर अपराध किया है। ऐसा करने में कांग्रेस न केवल राष्ट्रीय भावना बल्कि राष्ट्रीय हित के खिलाफ गई है और जम्मू-कश्मीर के लिए एक स्थायी समाधान खोजने के रास्ते में बाधा पैदा करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्र अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक दृढ़ता के साथ लिए निर्भीक और मजबूत निर्णय के साथ खड़ा है, जिसे असंभव माना जाता था। गृहमंत्री श्री अमित शाह ने संसद के दोनों सदनों में इन प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हुए, अपने अकाट्य तर्कों और अदम्य मनोबल के माध्यम से ऐसा संभव किया है। इस फैसले ने राज्य के लोगों के लिए अवसरों की एक विशाल श्रृंखला का द्वार खोल दिया है। अब जम्मू और कश्मीर के लोगों को शेष भारत के साथ विकास और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। यह निर्णय न केवल जम्मू और कश्मीर के लोगों को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करने जा रहा है, बल्कि लद्दाख के लोगों के लिए बहुत बड़ा लाभ पहुंचाने वाला है। इस निर्णय ने दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए हितकारी और शेष भारत के साथ पूर्ण एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। इन दोनों क्षेत्र में विकास, प्रगति और शांति के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है।

यह पुस्तिका स्वतंत्रता के उपरांत धारा 370 से जुड़े प्रमुख अंश, बहस, विचार-विमर्श, राजनीतिक दस्तावेज, लेखन और भाषणों को एक साथ संकलित करने का प्रयास है। इस पुस्तिका द्वारा पाठकों को यह जानकारी प्राप्त होगी कि कैसे अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने की मांग विचारधारा एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निरंतर की जाती रही है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर जितने भी अन्य लोग इस मांग को लेकर प्रेरित थे उनका बस एक ही स्वप्न था कि भारत एकजुट हो, समृद्ध हो, स्थिर हो और स्वतंत्र हो।

यह पुस्तिका संक्षिप्त में अनुच्छेद 370 और 35ए के समाप्ति के वास्तविक परिदृश्य को प्रदर्शित करती है और पाठक के मन-मष्तिष्क में इस विषय पर अध्ययन की उत्सुकता को जन्म देती है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन की टीम ने कम समयावधि में इस पुस्तिका के माध्यम से डॉ. मुखर्जी के बलिदान और अनुच्छेद 370 के प्रति उनके महान प्रयासों को इंगित किया है।

प्रकाशक

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

9, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सितम्बर, 2019

विषय-सूची

प्रस्तावना **4**

खण्ड – 1 **10**

1. धारा 370 को समाप्त करने वाले शिल्पकारों का कथन
   1.1 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का राष्ट्र के नाम सन्देश
   1.2 राज्यसभा में गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के दौरान दिए गए जवाब के मुख्य बिंदु
   1.3 लोकसभा में गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के दौरान दिए जवाब के मुख्य बिंदु

खण्ड – 2 **19**

2. हमारे प्रेरणास्रोत और अनुच्छेद 370
   2.1 डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू एवं कश्मीर के संदर्भ में लोकसभा बहस के मुख्य बिंदु
   2.2 कश्मीर राज्य के बारे में प्रस्ताव, 7 अगस्त 1952
   2.3 राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हस्तक्षेप
   2.4 जम्मू की स्थिति पर चर्चा में हस्तक्षेप
   2.5 जम्मू–कश्मीर के सन्दर्भ में पं. दीनदयाल उपाध्याय जी का महामंत्री प्रतिवेदन एवं आलेख
   2.6 डॉ. मुखर्जी पृथकवादी प्रयासों के घोर विरोधी थे
   2.7 30 अगस्त,1968 को लोकसभा में भारतीय जनसंघ के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण के प्रमुख बिंदु

खण्ड – 3 **33**

3. लोकसभा में संवैधानिक संशोधन विधेयक बहस-
   (1964 सितंबर, नवंबर, दिसंबर)
   3.1. जम्मू-कश्मीर और धारा 370 के सन्दर्भ में आवश्यक प्रश्न एवं उत्तर

खण्ड – 4 **44**

4. अखंड भारत के संकल्प की सिद्धि

4.1. जनसंघ के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्तव्य के मुख्य बिंदु

4.2. जनसंघ के घोषणा पत्र में कश्मीर के सन्दर्भ में कुछ चुनिंदा अंश

4.3. भाजपा के चयनित चुनावी घोषणापत्रों के अंश

खण्ड – 5 **48**

5. अनुच्छेद 370 व 35ए के समाप्त होने पर वरिष्ठ लेखकों द्वारा लिखे गए लेखों के मुख्य बिंदु

5.1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने असंभव को संभव कर दिखाया

5.2. अनुच्छेद 370ः शंकाओं का समाधान

5.3. जम्मू-कश्मीर और लद्दाखः यात्रा एकात्मता की

5.4. मिल गया छुटकाराः अनुच्छेद-370 एवं 35ए जम्मू-कश्मीर की अवाम के लिए रोड़े थे, और कुछ नहीं

5.5. लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के निहितार्थ

5.6. धारा 35/370ए ःअंतर्राष्ट्रीयकरण करने में क्यों विफल हुआ पाकिस्तान!

5.7. दीनदयाल उपाध्याय और अनुच्छेद 370

खण्ड – 6 चयनित सन्दर्भ सूची **65**

हसरत मोहानी का संविधान सभा में भाषण के मुख्य बिंदु

(खण्ड – 1)

धारा 370 को समाप्त करने वाले शिल्पकारों का कथन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन को लेकर ऐतिहासिक विधेयक संसद में पारित करा कर सम्पूर्ण देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। गृहमंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा एवं राज्यसभा में ऐतिहासिक भाषण दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने के उपरांत 08 अगस्त 2019 को राष्ट्र को संबोधित किया। इस खंड में हम इन ऐतिहासिक वक्तव्यों के मुख्य बिंदु पढ़ सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश के मुख्य बिंदु– 08 अगस्त, 2019

- एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था, जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो अब दूर हो गई है। जो सपना सरदार पटेल का था, बाबा साहेब अंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो अब पूरा हुआ है।
- समाज जीवन में कुछ बातें, समय के साथ इतनी घुल-मिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों को स्थाई मान लिया जाता है। ये भाव आ जाता है कि, कुछ बदलेगा नहीं, ऐसे ही चलेगा। अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही भाव था। उससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों की, हमारे बच्चों की जो हानि हो रही थी,उसकी चर्चा ही नहीं होती थी।
- अनुच्छेद 370 और -35ए ने जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद-आतंकवाद-परिवारवाद

और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ, कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था

- ★ इस प्रक्रिया से गुजरकर जो कानून बनता है, वो पूरे देश के लोगों का भला करता है, लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो देश के एक हिस्से में लागू ही नहीं हों। यहां तक कि, पहले की जो सरकारें, एक कानून बनाकर वाहवाही लूटती थीं, वो भी ये दावा नहीं कर पाती थीं कि उनका बनाया कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू होगा
- ★ सोचिए, देश के अन्य राज्यों में बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के बच्चे इससे वंचित थे। देश के अन्य राज्यों में बेटियों को जो सारे हक मिलते हैं, वो सारे हक जम्मू-कश्मीर की बेटियों को नहीं मिलते थे।
- ★ देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के सफाई कर्मचारी इससे वंचित थे। देश के अन्य राज्यों में दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था। देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए माइनॉरिटी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था।
- ★ केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही, अभी कुछ कालखंड के लिए जम्मू-कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच-समझकर लिया है। इसके पीछे की वजह समझना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब से वहां गवर्नर रूल लगा है, जम्मू-कश्मीर का प्रशासन, सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में है। इसकी वजह से बीते कुछ महीनों में वहां गुडगवर्नेंस और डेवलपमेंट का और बेहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है।
- ★ हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, लेकिन आप ये जानकर चौक जाएंगे कि जम्मू-कश्मीर में दशकों से, हजारों की संख्या में ऐसे भाई-बहन रहते हैं, जिन्हें लोकसभा के चुनाव में तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते थे। ये वो लोग हैं जो 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। क्या इन लोगों के साथ अन्याय ऐसे ही चलता रहता?
- ★ जम्मू-कश्मीर के अपने भाई-बहनों को मैं एक महत्वपूर्ण बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। आपका जनप्रतिनिधि आपके द्वारा ही चुना जाएगा, आपके बीच से ही आएगा। जैसे पहले एमएलए होते थे, वैसे ही एमएलए आगे भी होंगे। जैसे पहले मंत्रिपरिषद होती थी, वैसी ही मंत्रिपरिषद आगे भी होगी। जैसे पहले आपके सीएम होते थे, वैसे ही आगे भी आपके सीएम होंगे।

- जब धरती का स्वर्ग, हमारा जम्मू-कश्मीर फिर एक बार विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके पूरे विश्व को आकर्षित करने लगेगा, नागरिकों के जीवन में इज़ ऑफ़ लिविंग बढ़ेगी, नागरिकों को जो उनके हक का मिलना चाहिए, वो बेरोक-टोक मिलने लगेगा, शासन-प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं जनहित कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगी, तो मैं नहीं मानता कि केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था जम्मू-कश्मीर के अंदर चलाए रखने की जरूरत पड़ेगी।
- दशकों के परिवारवाद ने जम्मू-कश्मीर के मेरे युवाओं को नेतृत्व का अवसर ही नहीं दिया। अब मेरे ये युवा, जम्मू-कश्मीर के विकास का नेतृत्व करेंगे और उसे नई ऊंचाईयो पर ले जाएंगे। मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नौजवानों, वहां की बहनों-बेटियों से विशेष आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र के विकास की कमान खुद संभालिए।
- यूनियन टेरेटरी बन जाने के बाद अब लद्दाख के लोगों का विकास, भारत सरकार की स्वाभाविक जिम्मेदारी बनती है। स्थानीय प्रतिनिधियों, लद्दाख और कारगिल की डवलपमेंट काउंसिल्स के सहयोग से केंद्र सरकार, विकास की तमाम योजनाओं का लाभ अब और तेजी से पहुंचाएगी।
- लोकतंत्र में ये भी बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ को इस पर मतभेद है। मैं उनके मतभेद का भी सम्मान करता हूं और उनकी आपत्तियों का भी। इस पर जो बहस हो रही है, उसका केंद्र सरकार जवाब भी दे रही है। समाधान करने का प्रयास भी कर रही है, ये हमारा लोकतांत्रिक दायित्व है, लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि वो देशहित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवहार करें और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख को नई दिशा देने में सरकार की मदद करें।
- अनुच्छेद 370 से मुक्ति एक सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस समय एहतियात के तौर पर उठाए गए कदमों की वजह से जो भी परेशानी हो रही है, उसका मुकाबला भी वही लोग कर रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग, जो वहां हालात बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक जवाब भी वहां के हमारे भाई बहन दे रहे हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तानी साजिशों के विरोध में जम्मू-कश्मीर के ही देशभक्त लोग डटकर खड़े हुए हैं।
- भारतीय संविधान पर विश्वास करने वाले हमारे ये सभी भाई-बहन अच्छा जीवन जीने के अधिकारी हैं। हमें उन सब पर गर्व है। मैं आज जम्मू-कश्मीर के इन साथियों को भरोसा देता हूं कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी।
- जम्मू-कश्मीर हमारे देश का मुकुट है। गर्व करते है इसकी रक्षा के लिए जम्मू-कश्मीर के अनेकों वीर बेटे-बेटियों ने अपना बलिदान दिया है, अपना जीवन दांव पर लगाया

है। पुंछ जिले के मौलवी गुलाम दीन, जिन्होंने 65 की लड़ाई में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बारे में भारतीय सेना को बताया था, उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था।

- ये फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ ही पूरे भारत की आर्थिक प्रगति में सहयोग करेगा। जब दुनिया के इस महत्वपूर्ण भूभाग में शांति और खुशहाली आएगी, तो स्वभाविक रूप से विश्व शांति के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर श्री अमित शाह द्वारा दिए गए जवाब के मुख्य बिंदु – 05 अगस्त, 2019

- मैं आज सदन के सामने जम्मू-कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 हटने के बाद होने जा रहा है।
- मैं इस विषय में जाने में पहले आज हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए शहादत दी। ऐसे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी जरूर याद करना चाहता हूं।
- आर्टिकल 370 अस्थाई था और इसे कभी न कभी हटना था, लेकिन पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए इसे हटाने की हिम्मत नहीं की। कैबिनेट ने आज हिम्मत दिखाकर और जम्मू-कश्मीर के लोगों के हित के लिए यह फैसला लिया है।
- आर्टिकल 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र प्रफुल्लित नहीं हुआ। आर्टिकल 370 और 35ए के कारण भ्रष्टाचार फला-फूला, पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा। आर्टिकल 370 और 35ए के कारण ही गरीबी घर कर गई।
- 40 हजार पंच-सरपंच का अधिकार 70 साल तक जम्मू-कश्मीर के लोगों से ले लिया। इसका जिम्मेदार है अनुच्छेद 370।
- राष्ट्रपति शासन के बाद वहां चुनाव हुए और आज 40 हजार पंच-सरपंच वहां के विकास में योगदान दे रहे हैं।
- जम्मू और कश्मीर के विकास में बाधक भी आर्टिकल 370 है। शिक्षा के लिए यहां के बच्चों को देशभर के शिक्षा संस्थानों पर जाना पड़ता है, इसका भी कारण 370 है।
- भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपये जम्मू और कश्मीर के लिए भेजे, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, 370 का उपयोग करके वहां भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाले कानून लागू नहीं होने दिए गए।
- हम तो राष्ट्र हित का बिल लेकर आएं हैं। आपने इंदिरा जी को इलाहाबाद के जजमेंट से बचाने का संवैधानिक सुधार उसी दिन लाकर, उसी दिन पारित करके देश की डेमोक्रेसी को खत्म किया था और आज हमें उपदेश देते हैं।

★ आर्टिकल 370 और 35ए हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है। आर्टिकल 370 और 35ए हटने के बाद जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है।

★ आर्टिकल 370 के कारण जम्मू और कश्मीर में पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी बड़ी कंपनियां नहीं जा सकती। ये कंपनियां वहां गई तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़ी कंपनियां वहां गईं तो पर्यटन बढ़ेगा, लेकिन 370 के कारण ये संभव नहीं है।

★ अब जम्मू-कश्मीर के लोगों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी का आरक्षण खुद-ब-खुद मिलेगा।

★ 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में देश का कोई बड़ा डॉक्टर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां वो अपना घर नहीं खरीद सकता, वहां का मतदाता नहीं बन सकता और वहां खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करता। 370 आरोग्य में भी बाधक है।

★ शिक्षा के अधिकार को, महिलाओं के सारे अधिकार के कानून और उनको और उनके बच्चों को अधिकार देना है, तो भी आर्टिकल 370 हटनी चाहिए।

★ आतंकवाद जन्मा, बढ़ा, पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा, इसका कारण आर्टिकल 370 है।

★ आतंकवाद की वजह से 41 हज़ार 894 लोग मारे गए, जब भी आतंकवाद ख़त्म होने पर आता है, तभी कुछ लोग 370 का राग अलापते हैं।

★ 370 के कारण आज तक 41,894 लोग जम्मू-कश्मीर में किस की पॉलिसी के कारण मारे गए? जवाहर लाल नेहरू जो पॉलिसी चालू करके गये, वो ही पॉलिसी अभी तक चल रही है, फिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है?

★ जवाहर लाल नेहरू जी ने भी कहा था कि 370 घिसते-घिसते एक दिन घिस जाएगी। मगर इसे इतने जतन से संभाल के रखा की ये घिसी ही नहीं। ये अस्थाई व्यवस्था है, आखिर इसे कब तक रखा जाएगा।

★ 370 की आड़ में अलगाववादियों ने कश्मीर के युवाओं को गुमराह किया।

★ मैं मानता हूं कि जब तक आर्टिकल 370 और 35ए है, तब तक कश्मीर से आतंकवाद की समाप्ति नहीं हो सकती, कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए आर्टिकल 370 और 35ए हटाना निहायत जरूरी है।

★ हर कोई इसे एक अस्थायी प्रावधान मानता है, लेकिन अस्थायी रूप से 70 साल तक जारी रहता है, यह कब जाएगा, यह कैसे जाएगा? आप यहां संसद में खड़े हैं और कहते हैं कि कश्मीर में खून-खराबा होगा! क्या आप घाटी में संदेश भेज रहे हैं? आप चाहते हैं कि वे 18वीं शताब्दी की व्यवस्था में रहना जारी रखें, क्या वहां 21वीं शताब्दी में रहने

का अधिकार नहीं है।

- ✶ हम धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करते, क्या वोट बैंक की राजनीति? कश्मीर में केवल मुसलमान रहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? मुस्लिम, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सभी वहां रहते हैं। यदि 370 अच्छा है, तो यह सभी के लिए अच्छा है, यदि यह बुरा है, तो यह सभी के लिए बुरा है।
- ✶ धारा 370 से राज्य को बहुत नुकसान हुआ। इसके चलते भ्रष्टाचार, गरीबी बढ़ी। धारा 370 महिला और दलित विरोधी है। धारा 370 आतंकवाद की जड़ है। इससे केवल हानि हुई है। इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ।
- ✶ 70 सालों से सरपंचों के अधिकार छीने गए। धारा 370 से जम्मू-कश्मीर में विकास नहीं हुआ। धारा 370 और 35ए से कश्मीर कंगाल बन गया।
- ✶ वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता, दलितों, आदिवासियों को राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलता है, यही वजह से मायावती जी की पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया है। कुछ पार्टियां एनजीओ ब्रिगेड से इस बिल को कोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन कोई भी लीगल जांच से इस बिल को कुछ नहीं होने वाला है।
- ✶ चंद लोग जो तीन परिवारों के साथ जुड़े उन्हें सीमेंट की एजेंसी ली है और वहां देश से 100 रुपये महंगा सीमेंट बिक रहा है। जो लोग 370 की वकालत करते हैं वह बताएं कि यह पैसा कहां गया, हो-हल्ला कश्मीर के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रपति शासन में शुरू हुई, जांच की वजह से हो रहा है।
- ✶ घाटी के व्यक्ति को आजादी के बाद क्या मिला, जमीन के दाम नहीं बढ़े, जिसके पास भूमि है उसका दाम नहीं बढ़ा। क्योंकि वहां खरीदार नहीं है, कोई वहां जमीन नहीं खरीद सकता है।
- ✶ हम घाटी के युवाओं को गले लगाना चाहते हैं। उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा भविष्य, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार देना चाहते हैं। भारत के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ है, उसी तरह से कश्मीर में विकास हो इसके लिए आर्टिकल 370 को निकालना जरूरी है।
- ✶ जो लोग कश्मीर के युवाओं को उकसाते हैं, उनके बच्चे लंदन-अमेरिका में पढ़ाई करते हैं। उनको चिंता नहीं है क्योंकि उन्होंने तो सब अच्छे से कर लिया। मगर घाटी के युवा को आज भी अनपढ़ रखने और उनका विकास न होने देने का कारण आर्टिकल 370 है।
- ✶ कई सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर आपत्ति दर्ज की है। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी उचित समय आयेगा और परिस्थिति सामान्य हो जाएगी, तो इसे पूर्ण राज्य बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

- ये कहा जाता है कि 370 नहीं रहेगी तो भारत से जम्मू-कश्मीर अलग हो जाएगा। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये कैसे होगा? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ने बिना 370 के अपनी संस्कृति बना के रखी है। 370 कैसे आपकी संस्कृति को प्रोटेक्ट करता है। ये सिर्फ तीन सियासतदानों के परिवार को प्रोटेक्ट करता है।
- अगले पांच वर्षों में जम्मू-कश्मीर को सबसे विकसित राज्य बनाएंगे, सही समय आने पर जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बदला जाएगा।
- मैं कश्मीर के युवाओं के कहना चाहता हूं, भरोसा करिये नरेंद्र मोदी सरकार पर कुछ नहीं होने वाला, कुछ लोग बरगला रहे, हम पांच साल के अंदर कश्मीर के अंदर परिवर्तन लेकर आयेंगे।
- ऐसे फैसले लेने के लिए उचित समय की जरूरत नहीं बल्कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए होती है। बड़े और कड़े फैसले लेने का जिगर होना चाहिए और मुझे गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में ये सब है।

लोकसभा में गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के दौरान दिए जवाब के मुख्य बिंदु – 06 अगस्त, 2019

- देश का बच्चा-बच्चा बोलता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हम ये क्यों नहीं बोलते कि यूपी देश का अभिन्न अंग है, तमिलनाडु देश का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 370 ने इस देश और दुनिया के मन में एक शंका पैदा कर दी थी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं!
- हम कभी ये नहीं क्यों कहते कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग है। हम कभी ये क्यों नहीं कहते है कि उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। सिर्फ कश्मीर के लिए ही ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 370 उसको भारत से अलग करने का काम करता था।
- थोड़ी देर में अनुच्छेद 370 खत्म हो जाएगा। मैं इसके लिए हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनकी दृढ़ इच्छाशक्ति की वजह से यह संभव हो पाया।
- पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर हमारा दावा आज भी उतना ही मजबूत है, जितना पहले थे। उसकी 24 की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली हैं।
- मैं जो बिल लेकर सदन में उपस्थित हुआ हूं। उसमें अक्साई चिन और पीओके समेत एक-एक इंच जमीन का जिक्र है।
- यहां उपस्थित एक दो लोगों के अलावा किसी ने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध नहीं

किया। वो भी चाहते हैं कि 370 हट जाए, लेकिन उनके सामने वोटबैंक का प्रश्न आ जाता है।

- ✶ भारत की सीमाओं के अंदर कोई भी निर्णय लेने के लिए भारत के संसद के दोनों सदनों को पूरा संवैधानिक अधिकार है।
- ✶ जहां तक केंद्र शासित राज्य का सवाल है, तो मैं देश और मुख्य रूप से घाटी के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि स्थिति सामान्य होते ही पूर्ण राज्य का दर्जा देने में हमें कोई संकोच नहीं होगा।
- ✶ जब भारत-पाकिस्तान ने यूएन के प्रस्ताव को स्वीकार किया, तब किसी भी देश की सेना को सीमाओं के उल्लंघन का अधिकार नहीं था, लेकिन 1965 में पाकिस्तान की ओर से सीमा का उल्लंघन करने पर यह प्रस्ताव खारिज हो गया था।
- ✶ हम आपके दबाव में नहीं आएंगे। वहां से सुरक्षाबलों को नहीं हटाया जाएगा, कितनी चर्चा करेंगे, किससे चर्चा करें। जो पाकिस्तान से प्रेरणा लेते हैं, उससे चर्चा करें। हम हुर्रियत से चर्चा नहीं करेंगे।
- ✶ पंडित नेहरू ने सेना को पूरी छूट दी होती, तो पीओके भारत का हिस्सा होता। जब भारत-पाकिस्तान ने यूएन के प्रस्ताव को स्वीकार किया तब किसी भी देश की सेना को सीमाओं के उल्लंघन का अधिकार नहीं था, लेकिन 1965 में पाकिस्तान की ओर से सीमा का उल्लंघन करने पर यह प्रस्ताव खारिज हो गया था।
- ✶ 1989 से 1995 तक जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद इतना बढ़ा कि वहां सालों तक कर्फ्यू लगाया गया। वहां खाना-पीना तो छोड़िए, ब्रेड-बटर तक नहीं मिलता था। हमने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबल इसलिए रखे हैं कि अगर वहां की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना भी चाहे तो उसको मौका नहीं मिलेगा
- ✶ घाटी के लोग हमारे हैं, हम उनको गले लगायेंगे, उनकी हर शंका को दूर करेंगे।
- ✶ 370 हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वह देश की संसद के महत्व को कम करता है। इस देश का कानून वहां तक नहीं पहुंचता है।
- ✶ जम्मू-कश्मीर के लिए बनाया गया कानून कैसे सांप्रदायिक है? वहां सिख और जैन रहते हैं। वहां अल्पसंख्यक आयोग तक नहीं बनाया गया। यह सिर्फ अनुच्छेद 370 की वजह से हुआ।
- ✶ अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विकास से दूर रखने वाला है। महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, स्वास्थ्य लाभ से दूर रखने वाला है, आतंकवाद का खादपानी है। भारत का कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होता है।
- ✶ देश भर में बच्चियों की शादी की उम्र तय हो गई है, लेकिन कश्मीर में कितनी भी छोटी

बच्ची हो उससे शादी कर सकते है। यह कहां का न्याय है? मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि अनुच्छेद 370 महिला विरोधी है।

- ★ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम ऐतिहासिक ग़लती करने जा रहे हैं। हम ग़लती करने नहीं, बल्कि ऐतिहासिक ग़लती को सुधारने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पांच साल के बाद जम्मू-कश्मीर का विकास देखकर घाटी के लोगों को समझ आएगा कि अनुच्छेद 370 की ख़ामियां क्या थीं।
- ★ जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यक आयोग क्यों नहीं बनाया गया? जम्मू-कश्मीर में शिक्षा का अधिकार कानून लागू नहीं है, शिक्षकों को ट्रेनिंग नहीं मिलती है। यह सिर्फ अनुच्छेद 370 की वजह से संभव नहीं हो पाया।
- ★ जम्मू-कश्मीर में एसीबी ने कई फाइलें खोली है। जम्मू-कश्मीर बैंक की जांच चल रही है। इसी की वजह से अनुच्छेद 370 का विरोध हो रहा है। देशभर में दलित और आदिवासी को राजनीतिक आरक्षण मिलता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में नहीं मिलता है।
- ★ भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि ऐसे फैसले व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, वोटबैंक के लिए या चुनाव में फायदा हो इसलिए नहीं लेती। ऐसे फैसले देश का भला किसमें है, वो देखकर लेते हैं। ऐसे फैसले देश की सुरक्षा किसमें है, वो देखकर लिया जाता है।
- ★ अनुच्छेद 370 के खिलाफ लड़े, जेल में रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण बहुमत नहीं है, मैं नहीं हटा सकता। अब उन्हीं की पार्टी अनुच्छेद 370 हटा रही है।
- ★ मुझे विश्वास है कि 5 साल के बाद जम्मू और कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास होने वाला है, वो देखकर घाटी की जनता भी कहेगी कि 370 का झुनझुना जो हमें पकड़ाया गया, उससे हमारा बहुत अहित हुआ।
- ★ अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां इंडस्ट्री खुलेंगे, रोजगार मिलेंगे। जमीन की कीमतें बढ़ेंगी, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। जम्मू-कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग था, है और रहेगा। उसे कोई खत्म नहीं कर सकता है।

(खण्ड – 2)

हमारे प्रेरणास्रोत और अनुच्छेद 370

अनुच्छेद 370 और 35ए का हटाया जाना हमारे प्रेरणा पुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की अखंडता के लिए बलिदान दिया। उनके महान बलिदान के उपरांत भारतीय जनसंघ ने पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में जम्मू–कश्मीर के एकीकरण को लेकर संघर्ष व आंदोलन को निरंतर जारी रखा। पार्टी ने इस मसले को सदैव अपने एजेंडे में सबसे पहले रखा। इस खण्ड में हमारे प्रेरणा पुरुषों के कुछ चयनित विचारों को साझा किया गया है।

जम्मू और कश्मीर पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोकसभा बहस के अंश– 26 जून, 1952

- हम एक संतोषजनक समाधान खोजने के लिए उत्सुक हैं ताकि कश्मीर भारत के साथ बना रहे और पिछले पांच वर्षों के दौरान कश्मीर के लोगों के साथ भारत ने जो महान बलिदान दिया है, उसका सुखद परिणाम हमें हासिल हो सके, जिससे पूरे राष्ट्र के लोगों को लाभ होगा। यही हमारी उत्सुकता है।
- यहां पर झंडे को लेकर एक सवाल है। शेख अब्दुल्ला ने दो दिन पहले बात की थी, और उन्होंने कहा कि "ओह, निश्चित रूप से, हम राष्ट्रीय ध्वज को पहचान लेंगे।" राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता देने का कोई सवाल ही नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज यहाँ हर किसी में मौजूद है, और यह स्वतंत्र भारत का ध्वज है। शेख अब्दुल्ला ने कहा है: "हम दोनों झंडे को समान रूप से मानेंगे।" आप यह नहीं कर सकते। यह आधे-आधे का सवाल नहीं है। यह समानता का सवाल नहीं है। यह सम्पूर्ण भारत के लिए एक ध्वज का उपयोग करने का प्रश्न है। भारत, जिसमें कश्मीर भी शामिल है। कश्मीर के अलग गणराज्य होने का कोई सवाल ही नहीं है। यह कोई छोटी बात नहीं है।
- उन्हें कश्मीर में नेशनल कांफ्रेस के लिए झंडा रखने दें। इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन

जब आप सरकार के रूप में काम करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां कार्य करते हैं, केवल एक ध्वज को ही फहराया जा सकता है और वह है स्वतंत्र भारत का ध्वज।

- मुख्य मुद्दा यह है कि कश्मीर भारत के साथ कैसे एकीकृत होने जा रहा है? क्या कश्मीर एक गणतंत्र के भीतर एक गणतंत्र बनने जा रहा है? क्या हम इस संप्रभु संसद में भारत के चार कोनों के भीतर एक और संप्रभु संसद के बारे में सोच रहे हैं? यह शेख अब्दुल्ला का दावा है और हम इसका मुकाबला करते हैं। क्या हम कश्मीर के लोगों के अधिकारों के बारे में सोच रहे हैं कि वे जो कुछ भी भारत से प्राप्त कर सकते हैं और उसके बदले कुछ भी नहीं दे सकते हैं? पैसा, संसाधन, सड़क, पुल सब ले लिए जाएं? क्या यह 'देने-लेने' का सवाल है, या यह 'लेने और न देने' का सवाल है? यही वह सवाल है जिस पर अभी फैसला होना है। कश्मीर के लोगों का रुख क्या होगा? हम अब इस आधार पर आगे बढ़े हैं कि हम लोगों को अपने साथ ले जा सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री से इसके लिए प्रार्थना करता हूं। उनसे उस शक्ति का अभ्यास करने का अग्रह करूंगा, जिसमें इच्छाशक्ति की ताकत हो, और सरदार पटेल जैसा दृढ़ संकल्प हो।
- एक लोकतांत्रिक संघीय राज्य में, एक घटक इकाई के नागरिकों के मौलिक अधिकार किसी अन्य इकाई के नागरिकों से अलग नहीं हो सकते हैं। क्या जम्मू-कश्मीर के लोग उन मूलभूत अधिकारों के हकदार नहीं हैं, जो हमने भारत के लोगों को दिए हैं? विभिन्न संवैधानिक पैटर्न के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, संक्रमणकालीन अवधि के दौरान कुछ समायोजन के अधीन, प्रांतों और राज्यों और केंद्र के बीच राजकोषीय संबंध भी एक प्राधिकरण के तहत आने चाहिए। भारत के महालेखा परीक्षक का राज्यों में लेखापरीक्षा प्रणाली पर भी पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अब राज्यों को उसी सीमा तक विस्तारित होना चाहिए जैसा कि प्रांतों के मामले में है। राज्यों में उच्च न्यायालयों का गठन किया जाना है ताकि वे प्रांतीय उच्च न्यायालयों की तरह ही कार्य करें। भारत के सभी नागरिकों, चाहे वे राज्यों या प्रांतों में रहते हों, उन पर समान मौलिक अधिकार और समान कानूनी उपाय लागू होने चाहिए। केंद्र के साथ संवैधानिक संबंध के मामले में और आंतरिक व्यवस्था में इन राज्यों को प्रांतों के बराबर होना चाहिए। यही वह सवाल है जिसका हमें निपटारा करना है।
- शरणार्थीयों के सवाल पर आना चाहूंगा। आप जानते हैं कि हम पहले इसकी चर्चा कर चुके है। भारत में जम्मू और कश्मीर के हजारों हिंदू शरणार्थियों को बसाया जा रहा है। उन्हें जम्मू या कश्मीर में जमीन क्यों नहीं दी जा सकती? बाहर के लोगों को वहां क्यों लाया और बसाया जाना चाहिए? यह भेदभावपूर्ण नीति को भी दर्शाता है।
- मेरे पास एक रचनात्मक सुझाव है। यदि शेख अब्दुल्ला को मना लें और हम सभी एक निजी सम्मेलन में इस पूरे प्रश्न पर चर्चा करें। हम इस बात से चिंतित हैं कि जम्मू-कश्मीर को भारत में आना चाहिए जैसे कि कोई अन्य राज्य आया है। आइए जानते हैं कि वह क्या खास सावधानियां बरतना चाहते है, लेकिन उससे पहले उन्हें यह कहने दो कि जम्मू और कश्मीर

के लोग पहले भारतीय हैं और फिर कश्मीरी। प्रधानमंत्री को दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए कि हम इस तरह का कश्मीरी राष्ट्रवाद नहीं चाहते हैं; हम संप्रभु कश्मीर का विचार नहीं चाहते हैं। यदि आप कश्मीर से इसकी शुरूआत करते है तो अन्य राज्य भी इस तरह की मांग करेंगे।

कश्मीर राज्य के बारे में प्रस्ताव– 7 अगस्त, 1952

- ✶ यह सामान्य बात है कि हमें संयुक्त राष्ट्र ने हमारे साथ उचित व्यावहार नहीं किया, जिसकी हमें उम्मीद थी। मुझे पता है कि तकनीकी रूप से कोई भी मामला यू.एन.ओ. से वापस नहीं लिया जा सकता है। किसी भी तरह, हमें खुद को वापस लेना चाहिए, जहां तक कश्मीर मामले पर विचार का संबंध है, हम उन्हें सम्मानपूर्वक बता सकते हैं कि इस मुद्दे पर हम यू.एन.ओ. का सहयोग आगे नहीं चाहते हैं। हम अब अपने प्रयासों से ही मामले को निपटाने की कोशिश करेंगे।
- ✶ एकमात्र मामला जिसके बारे में विवाद अभी भी जारी है, वह कश्मीर के एक तिहाई हिस्से को लेकर है, जो दुश्मन के कब्जे में है... हम कहते हैं कि कश्मीर भारत का एक हिस्सा है। इसलिए, भारत का एक हिस्सा आज दुश्मन के कब्जे में है और हम असहाय हैं।
- ✶ अगर इसी प्रकार की मांग किसी दूसरे राज्य द्वारा की जाती, तो क्या हम उसे पूरा करते? हम यह कदापि नहीं करते क्योंकि यह भारत के लिए विध्वंसक होता। लेकिन कश्मीर को छोड़कर अन्य राज्यों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग तरीका अपनाया गया। उन्हें यह महसूस कराया गया कि उनकी प्रगति तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए भारत के संविधान को मानना आवश्यक है। संविधान में इसके विस्तृत प्रावधान किए गए, जिससे वह भारतीय गणराज्य का हिस्सा बन गए। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई मजबूरी नहीं।
- ✶ क्या मैं पूछ सकता हूं - क्या शेख अब्दुल्ला इस संविधान के पक्षकार नहीं थे? वह संविधान सभा के सदस्य थे; लेकिन आज वह विशेष प्रावधान की बात कर रहे हैं। क्या वह 497 राज्यों सहित शेष भारत के संबंध में इस संविधान को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं थे। अगर यह उन सभी के लिए पर्याप्त है, तो कश्मीर के लिए यह क्यों अच्छा नहीं है?
- ✶ लेकिन इस बात पर ध्यान न दें कि जब भी नीति के कुछ मामलों पर कोई हमला किया जाता है, तो कुछ संकीर्ण, सांप्रदायिक मकसद हमें प्रेरित करते हैं। हमें यह डर है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। यह डर है कि आप जो करने जा रहे हैं, वह भारत के विखंडन को जन्म दे सकता है, इससे उन लोगों के हाथ मजबूत हो सकते हैं, जो एक मजबूत एवं अखंड भारत नहीं देखना चाहते हैं।
- ✶ हम एक ऐसे समझौते पर आना चाहते हैं, जिससे भारत की एकता बनी रहे तथा कश्मीर का अस्तित्व पाकिस्तान से अलग बना रहे और कश्मीर भारत में शामिल हो सके।
- ✶ शेख अब्दुल्ला को यह घोषणा करने दें कि वह संसद की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। भारत

में दो संप्रभु संसद नहीं हो सकती है। आप कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं और शेख अब्दुल्ला कश्मीर के लिए एक संप्रभु संसद की बात करते हैं। यह असंगत है। यह विरोधाभासी है। इस संसद में हमारे जैसे कुछ लोगों का कुछ मतलब नहीं है, जो इसका विरोध कर रहे हैं और उन्हें स्वतंत्र भारत की इस संसद की संप्रभुता को स्वीकार करने से क्यों डरना चाहिए?

- वह खुद को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। इस तरह उन्होंने अपनी शुरुआत की। हममें से कुछ को यह पसंद नहीं आया। हम भारत के एक प्रधानमंत्री को जानते हैं, जिसमें कश्मीर भी शामिल है और वह यहां बैठे हुए (नेहरू) हैं। आप दो प्रधानमंत्री, एक दिल्ली में और एक प्रधानमंत्री श्रीनगर में कैसे बर्दाश्त कर सकते हो, जो खुद को मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक प्रधानमंत्री कहेंगे। पहले तो मुझे लगा कि यह एक छोटी सी बात है और हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन यह देखें कि प्रक्रिया कैसे विकसित हो रही है - हर कदम पर किसी न किसी तरह का विशेष प्रावधान। इसका इलाज बहुत अलग तरीके से किया जाना चाहिए।
- क्या भारतीय आपकी सारी संपत्ति ले लेंगे? यह सुझाव नहीं दिया गया था कि भारतीयों को जाना चाहिए और संपत्ति पसंद के अनुसार खरीदनी चाहिए। मान लें कि कुछ भारतीय आते हैं और कुछ संपत्ति खरीदते हैं, तो आपके पास विधायी उपाय हो सकते हैं। हमने इसे स्वीकार कर लिया है। डर क्या है? हमारे पास भारत का एक कश्मीरी प्रधानमंत्री है। हमारे पास भारत का एक कश्मीरी गृह मंत्री है। हम भारत में खुश हैं। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम उनका स्वागत करते हैं। डर किस बात का है? क्या यह डर है कि भारतीय जाकर कश्मीर पर आक्रमण करेंगे और उनमें से एक जम्मू-कश्मीर का मुख्यमंत्री बनेगा? हम जम्मू-कश्मीर में छापा मारने नहीं जा रहे हैं।
- मैं वास्तव में यह जानकर आश्चर्यचकित था कि एक विशेष प्रावधान को कैसे लागू किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दो लाख लोग पाकिस्तान चले गए हैं। प्रावधान है कि इन लोगों को कश्मीर वापस लाने के लिए एक विशेष कानून को शामिल किया जाएगा। युद्ध अभी भी जारी है।
- आप दरवाजा खोलने जा रहे हैं और पाकिस्तानियों को कश्मीर जाने की अनुमति दे रहे हैं; इसके लिए एक विशेष कानून बनना है और एक विशेष समझौता। शेख अब्दुल्ला की ओर से यह चिंता क्यों है कि जो लोग पाकिस्तान भाग गए और जो आने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें वापस लाने के लिए एक विशेष प्रावधान किया जाए। क्या इसका कोई मतलब है? यह सुरक्षा को कितना प्रभावित करेगा?
- मुझे नहीं पता कि कितने पंडित कश्मीर से दूर आए हैं। उन्हें भी कश्मीर वापस जाना होगा।
- जहां तक दूसरे हिस्से का सवाल है, वह भी एक गंभीर मामला है। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू-कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा, जो अब पाकिस्तानी कब्जे में है। लगभग 1 लाख हिंदू और सिख कश्मीर क्षेत्र के भीतर आकर शरण ले चुके हैं। उनके साथ क्या होगा? इनका ध्यान

रखना होगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हस्तक्षेप– 17 फरवरी, 1953

★ जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का एक हिस्सा है, और उस राज्य मे संविधान के अनुसार ही शासन होना है, सुझाव है - भारतीय संविधान को स्वीकार करें। यह संविधान सभा द्वारा गठित एक संविधान है, जिसमें स्वयं श्री जवाहरलाल नेहरू का प्रभुत्व था। यह एक संविधान है जो धर्मनिरपेक्ष विचारों पर आधारित है। यह किसी भी सांप्रदायिक उद्देश्यों से निर्धारित संविधान नहीं है। अगर यह भारत के चार करोड़ मुसलमानों के लिए अच्छा है, तो यह जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा क्यों नहीं हो सकता है?

★ दूसरी तरफ कितने लोग मारे गए हैं? आधिकारिक आंकड़े 11 हैं। जो नाम मुझे सौंपे गए हैं, वे 20 हैं। बीस और लापता हैं, जिनमें से कुछ के बारे में माना जाता है कि उन्हें आग की लपटों में फेंक दिया गया था, मिट्टी के तेल से जलाया गया था। इनकी संख्या 20 है। चाहे वह 20 हो या 40, उन्हें गोली मार दी गई है। दो हजार लोगों को जेल भेज दिया गया है। वे अकेले हिंदू नहीं हैं। समाज के सभी वर्गों के हिंदू, मुस्लिम, पुरुष और महिलाएं हैं। कुछ को ठन्डे पानी में डाल दिया गया परिणामस्वरूप निमोनिया से उनकी मृत्यु हो गई है। पुरुषों और महिलाओं को नग्न बाहर लाया गया है। उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कुछ को बर्फ के स्लैब पर रखा गया है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की गई है। क्या ये लोकतंत्र के कामकाज का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या हम जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, इस तरह के अधिकार के लिए इस तरह का नियम बना रहे हैं? क्या वे गांधीवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? (जम्मू-कश्मीर में शेख अब्दुल्ला प्रशासन द्वारा प्रजा परिषद कार्यकर्ताओं के दमन पर)

★ जम्मू के शरणार्थियों से संबंधित लोग हैं, जिनके पास जम्मू और कश्मीर बैंक में अपना पैसा है। क्या वित्त मंत्री जानते हैं कि उन्हें अपने पैसे प्राप्त करने की अनुमति नहीं है क्योंकि वे अपने दस्तावेज़ नहीं बना सकते हैं? वे जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया कि धन का भुगतान किया जाए। बैंक को इस पैसे का भुगतान करने से रोकते हुए एक अध्यादेश पारित किया गया था। ये वे शिकायतें हैं जिन पर गौर किया जाना है।

जम्मू की स्थिति पर चर्चा में हस्तक्षेप – 25 मार्च, 1953

★ भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत उस क्षेत्र को लाने का प्रश्न आता है। मैं मानता हूं यदि संपूर्ण संविधान को तत्काल लागू नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम संविधान के उन हिस्सों को जिन्हें आवश्यक और मौलिक माना जाता है, लागू किया जाना चाहिए। वे मौलिक

अधिकारों, नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां, वित्तीय और आर्थिक एकीकरण और इसी तरह से चुनावों के संचालन जैसे कुछ महत्वपूर्ण मामले इंगित किए गए हैं।

जम्मू–कश्मीर के सन्दर्भ में पं. दीनदयाल उपाध्याय जी का महामंत्री प्रतिवेदन

(बंबई अधिवेशन 24 - 26 जनवरी 1954)

जम्मू–कश्मीर आंदोलन

गत वर्ष के प्रारंभिक मास जम्मू-कश्मीर आंदोलन में ही बीते। अधिवेशन के समाप्त होते ही डॉश्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रधानमंत्री पं। जवाहर लाल नेहरू तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को पत्र लिखकर नीति परिवर्तन की मांग की। पंडित नेहरू का उत्तर आया, किंतु उसमें विषय टालने की चेष्टा की थी। कांग्रेस के हैदराबाद अधिवेशन में उन्होंने जो भाषण दिया, उससे भी स्पष्ट हो गया कि उनका कश्मीर संबंधी दृष्टिकोण जनसंघ से भिन्न था और वे शेख मुहम्मद अब्दुल्ला पर अंधविश्वास करके ही अपनी नीति निर्धारित कर रहे थे।

पंडित नेहरू के उत्तर के प्रकाश में इस संबंध में नीति निर्धारित करने के लिए अखिल भारतीय कार्यसमिति की बैठक हुई तथा भारत सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट होते हुए भी यह निर्णय किया कि समझौते का मार्ग ढूंढने के लिए और भी प्रयत्न किया जाए। फलतः डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित नेहरू में बिना विलंब पत्र-व्यवहार हुआ, किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। डॉ. मुखर्जी ने सुझाव दिया कि पंडित नेहरू से मिलकर इस विषय पर बातचीत की जाए और हल ढूंढा जाए, किंतु पंडित नेहरू ने मिलने से इंकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में सिवाय शांतिपूर्ण सत्याग्रह के और कोई मार्ग नहीं बचा। रामराज्य परिषद् और हिंदू महासभा, जिन्होंने इस विषय में सहयोग का निश्चय कर लिया था, के प्रतिनिधियों को लेकर बनी संयुक्त समिति ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह का निश्चय किया और इसकी घोषणा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली में आयोजित एक विराट् जनसभा में दिनांक 6 मार्च, 1993 को कर दी। यह भी निश्चय हुआ कि जम्मू के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करके सत्याग्रह की पद्धति निश्चित की जाए। दिल्ली सरकार ने अंतिम घड़ी में धारा 144 की घोषणा करके जुलूस पर पाबंदी लगा दी। स्वभावतः जब लक्षावधि जनता बलिदानी वीरों की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने एकत्र हुई हो, इस प्रकार की कोई कानूनी पाबंदी उठाए हुए तूफान को नहीं रोक सकती। लाठियों और अश्रु गैस के बीच डॉ. मुखर्जी, वैद्य गुरुदत्त, बैरिस्टर

निर्मलचंद्र चटर्जी तथा श्री नंदलाल शास्त्री बंदी बना लिए गए।

सत्याग्रह तथा दमन

देशभर में इस अन्यायपूर्ण पाबंदी के विरुद्ध हड़ताल हुई तथा प्रांतों से सत्याग्रही जत्थे दिल्ली और पठानकोट की ओर चल दिए।

दिल्ली तथा अन्य प्रादेशिक सरकारों ने सत्याग्रह को दबाने के लिए सभी उचित अनुचित हथियारों का प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश में तो धारा 144 लगाकर सत्याग्रहियों को माला पहनाना तथा उन्हें अपने घर में ठहराना अथवा उनके प्रति सहानुभूति भी प्रदर्शित करना बंद कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर राज्य के भारत में विलीन होने की मांग करने वाली सभाओं तथा पत्रकों आदि पर तो प्रतिबंध था, जबकि इसके विरोध में बोलने वालों को खुली छूट थी। प्रांतीय सरकार के इस प्रकार के अप्रजातंत्रीय कार्यों का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से चारों ओर किया गया। पंजाब सरकार ने तो सत्याग्रह प्रारंभ होने से एक मास पूर्व ही जनसंघ के सभी कार्यकर्ताओं को बंदी बना लिया था और इस प्रकार जम्मू के बंधुओं के प्रति सहानुभूति के मूल स्रोत को ही अवरुद्ध करने का प्रयत्न किया।

उत्तर प्रदेश में भी स्थान-स्थान पर धारा 144 का उल्लंघन करने के कारण जनसंघ के कार्यकर्ता बंदी बनाए गए तथा सहारनपुर में दो कार्यकर्ताओं को नजरबंद भी किया गया। सरकार के सभी प्रकार के दमन के उपरांत भी सत्याग्रहियों की बाढ़ रुकी नहीं। दिल्ली में न केवल सत्याग्रहियों को पीटा जाता था अपितु रास्ता चलने वाली जनता पर भी लाठी प्रहार किया गया। जेल की यातनाएं देकर सत्याग्रहियों के नैतिक बल को समाप्त करने का प्रयत्न हुआ। कानून के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से धारा 144 के उल्लंघन मात्र के लिए सश्रम कारावास और भारी जुरमाने की सजाएं दी गई। कार्यालय या निवास स्थान में रात्रि में छापा मारकर पकड़े हुए सत्याग्रहियों पर भी धारा 144 के उल्लंघन का मुकद्दमा चलाया गया। जुरमाने की रकम वसूल करने के लिए घर के सभी सामान कुर्क किए गए यहां तक कि दुधमुहें बच्चों की दूध की बोतलें भी पुलिस उठकर ले गई।

इन उपायों से सत्याग्रह तो दब नहीं सकता था, किंतु हमने यह तय किया कि हमारी लड़ाई कानून की लड़ाई है और इसलिए पुलिस या मजिस्ट्रेट के गैर-कानूनी व्यवहार को सहन करना न्यायपूर्ण सत्याग्रह की भावना के विरुद्ध होगा। फलतः न्यायालयीन क्षेत्र में हमने शासन के अन्यायों के विरुद्ध लड़ना प्रारंभ किया।

इसका श्रीगणेश डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रभृति नेताओं की बंदी के विरुद्ध श्री रामनारायण सिंह (एम.पी.) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई हैबियस कॉपर्स अरजी से हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अरजी को मंजूर किया और डॉ मुखर्जी आदि को मुक्त करने का आदेश दिया। देश में चारों ओर सरकारी अन्याय का ढोल पिट गया। सभी समाचार पत्रों ने सरकार के इस कदम की निंदा की। पार्लियामेंट में भी इस संबंध में विवाद हुआ किंतु चिकने घड़े पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिन

सत्याग्रहियों को सजाएं दीं गई थी, उनकी भी अपीलें कीं और आपको यह जानकर हर्ष होगा कि शत-प्रतिशत मामलों में दी सजाओं को अन्यायपूर्ण ठहराते हुए या तो उन्हें रद्द कर दिया गया या बिल्कुल कम कर दिया गया। नजरबंद किये व्यक्तियों को भी, जिनकी संख्या सौ से अधिक थी, सुप्रीम कोर्ट ने दो को छोड़कर सभी को मुक्त कर दिया।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जेल से बाहर आने पर सम्पूर्ण भारत का दौरा किया तथा भारत-कश्मीर एकता के महत्वपूर्ण प्रश्न पर जनमत संगठित किया। वैसे भी जनसंघ की ओर से आयोजित सभाओं, सत्याग्रहियों की विदाई, शहीदों की अस्थियों के जुलूस तथा अन्य कार्यक्रमों ने कश्मीर के प्रश्न को जनता का प्रश्न बना दिया। प्रारंभ में जो समाचार-पत्र हमारे साथ नहीं थे वे भी साथ देने लगे। इसी प्रश्न पर लड़े गये सभी चुनावों में हमारी विजय हुई। किंतु नेहरूजी दलगत भावनाओं और सम्मान के मोह में नीति परिवर्तित के लिए तैयार नहीं थे।

जनसंघ यद्यपि संघर्ष कर रहा था, किन्तु हमारा उद्देश्य सरकार से हार-जीत की लड़ाई का नहीं अपितु जम्मू के नेताओं से बातचीत करे सरकार अपनी नीति बदले, यह था। सत्याग्रह करते हुए भी हम बातचीत के लिए सदैव दरवाजा खटखटाते रहे। डॉ. मुखर्जी ने पार्लियामेंट में नेहरू जी से जोरदार शब्दों में अपील की कि वे अपनी नीति बदलें। जम्मू की वस्तुस्थिति जानने का तथा प्रजा प्ररिषद के नेताओं एवं कश्मीर सरकार के बीच सद्भावना का वातावरण उत्पन्न करने का भी बराबर प्रयत्न करते रहें। इसके लिए कानपुर अधिवेशेन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार एक शिष्टमंडल भेजने का निश्चय किया, किंन्तु उसे कश्मीर प्रवेश के लिए अनुमति पत्र नहीं दिया गया। पंजाब प्रादेशिक जनसंघ के उपप्रधान अवश्य किसी तरह जम्मू पहुंच गए तथा उन्होंने जो रिपोर्ट दी वह अत्यंत ही चिंताजनक थी। सत्याग्रह के प्रारंभ होने पर बैरिस्टर उमाशंकर द्विवेदी एवं प्रो. वी.जी. देशपांडे ने भी जम्मू जाने के लिए अनुमति पत्र मांगा। उन्हें भी अनुमति नहीं दी गई। फलतः वे बिना परमिट के ही कश्मीर के लिए निकले। उन्हें जालंधर में नजरबंद कर लिया गया।

कश्मीर के इस लौह-आवरण को भेदकर जम्मू जाने का डॉ. मुखर्जी ने निश्चय कर लिया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और भारत सरकार को उसकी सूचना दे दी गई। डॉ. मुखर्जी 6 मई, 1953 को प्रातःकाल दिल्ली से चले। हजारों नागरिकों ने 'भारत-कश्मीर एक हो, डॉ. मुखर्जी की जय हो के गगनभेदी नारों के बीच अपने नेता को विदाई दी। गोकुल से मथुरा जाते समय कृष्ण विदाई का यह दृश्य था। आंखे भरी हुई थीं, किन्तु ह्रदय में लालसा थी, अन्याय का घेरा तोड़ने वाले अपने महान नेता का अनुकरण करने की। मार्ग में स्टेशन-स्टेशन पर स्वागत हुआ। दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब उमड़ पड़ा।

आशा थी कि पंजाब सरकार डॉ. मुखर्जी को पठानकोट तक नहीं जाने देगी तथा मार्ग में ही बंदी बना लेगी। किंतु आशा के विपरीत सरकार ने उन्हें कश्मीर में प्रवेश करने का पूर्ण अवसर योजनानुसार दिया। कश्मीर राज्य की सीमा में पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा

श्रीनगर की सब-जेल में रखा गया। भारत और कश्मीर सरकार के इस षड्यंत्र एवं डॉ. मुखर्जी की गिरफ्तारी से संपूर्ण भारत में रोष की लहर दौड़ गई। चारों ओर विरोध दिवस मनाया गया। विरोध सभा के लिए दिल्ली में दीवान हॉल में एकत्र जनता पर निर्मम प्रहार हुआ। पठानकोट में 'परमिट तोड़ मोरचा' कायम हुआ। सत्याग्रहियों के जत्थे उधर बढ़ चले। 500 से अधिक सत्याग्रही पुलिस की आंख उठाकर दुर्गम नदी और वनों को पार कर जम्मू तक पहुंचें एवं वहां सत्याग्रह का वेग बढ़ गया।

चारों ओर से बढ़ते हुए दबाव को सहन करना शासन के लिए असह्य हो गया। शेख अब्दुल्ला भी अपनी नीतियों का पर्दाफास होते देखर अधिक खुलकर खेलने पर उतारु हुआ। नेहरू जी कश्मीर गए। उन्हें अपनी नीति की विफलता साकार दिखी। बातचीत का दौर आरंभ हुआ। किंतु किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने के पहले ही नेहरू जी महारानी एलिजाबेथ के राज्याविषेक समारोह के निमित लंदन चले गये। बातचीत लौटने तक स्थगित हो गई किंतु लौटने पर...।

डॉ. मुखर्जी की कश्मीर में गिरफ्तारी गैर-कानूनी थी। अतः उनकी मुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में अरजी देने का विचार हुआ। उनके कानूनी सलाहकार ने पहले कश्मीर हाईकोर्ट में प्रार्थना-पत्र देना ही उचित ठहराया। फलतः उमांशकर त्रिवेदी, डॉ. मुखर्जी के कानूनी सलाहकार के रूप में श्रीनगर गए। शेख अब्दुल्ला ने उन्हें डॉ. मुखर्जी से अकेले में मिलने की अनुमति नहीं दी, किंतु हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें अकेले में मिलने दिया जाए। बैरिस्टर त्रिवेदी ने हाईकोर्ट में डॉ. मुखर्जी की मुक्ति के लिए अरजी दी। उसका फैसला 23 जून को होने वाला था। किंतु 23 जून की रात्रि को डॉ मुखर्जी का देहांत हो गया।

डॉ मुखर्जी का देहांत! एक अकल्पनीय घटना थी वह। देश उसके लिए तैयार नहीं था। हमें उनकी बीमारी की कोई सूचना नहीं मिली और वास्तव में वे बीमार हुए भी नहीं। जेल में उन्हें हृदय का दौरा हुआ। जेल के डॉक्टर तथा अली मोहम्मद ने उनकी चिकित्सा की और उसका परिणाम हुआ उनकी कश्मीर के अस्पताल में मृत्यु यह मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। न तो उनके साथियों को और न बैरिस्टर त्रिवेदी को ही उनके पास रहने दिया। योग्य चिकित्सा का अभाव, दुर्लक्ष्य तथा योजनाबद्ध अवहेलना के साथ देश के विचारवान व्यक्ति भी डॉ. मुखर्जी की मृत्यु को प्राकृतिक मृत्यु कहते हुए हिचकिचाते हैं। एक संदेह सबके मन में घर कर गया है। अतः चारों ओर से 'जांच' की मांग हुई। पार्लियामेंट के बाहर और भीतर इसे बलपूर्वक रखा गया, किंतु भारत सरकार अपने माथे के कलंक को धोने के लिए तैयार नहीं। बख्शी गुलाम मोहम्मद जांच की आवश्यकता एवं उसके औचित्य को समझते हैं, किंतु उसके लिए सक्रिय सहयोग के लिए वे भी समय रहते हाथ नहीं बढ़ाना चाहते। जनसंघ के विधानसभा सदस्य श्री ज्ञानेन्द्रकुमार चैधरी ने बंगाल विधानसभा में जांच के लिए प्रस्ताव रखा, जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। विभिन्न प्रकार से हम इस मांग को लेकर आगे बढ़े हैं, तथा जब तक यह पूरी नहीं होती, हम चैन नहीं लेंगे।

डॉ. मुखर्जी की मृत्यु पर कश्मीर सरकार ने वैद्य गुरुदत्त, श्री टेकचंद्र शर्मा तथा पं. प्रेमनाथ

डोगरा को भी मुक्त कर दिया। साथ ही जम्मू प्रजा प्ररिषद के भूमिगत नेताओं के साथ सम्पर्क स्थापित करके समझौते का हाथ बढ़ाया। कश्मीर के उप-गृहमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद भी दिल्ली आए तथा पं। मौलिचंद्र शर्मा एवं पं. प्रेमनाथ डोगरा से बातचीत की। प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने एक वक्तव्य निकालकर सत्याग्रह बंद करके सहयोग की अपील की। सम्पूर्ण बातचीत का परिणाम यह हुआ कि संयुक्त संघर्ष समिति ने सत्याग्रह समाप्त करने का निश्चय कर लिया तथा सरकार को अवसर दिया कि वह अपनी नीति में परिवर्तन कर भारत-कश्मीर एकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करे। आगे की घटनाओं ने बताया है कि दिशा बदली है, यद्यपि अभी लक्ष्य पूरा हुआ है।

आंदोलन का भार बहुत कुछ दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश को वहन करना पड़ा। किंतु बिहार, राजस्थान, मध्य भारत और पेप्सू तथा बंगाल से भी काफी संख्या में सत्याग्रहियों ने भाग लिया। सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मुम्बई, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से भी सत्याग्रही जत्थे गए। किंतु इनके प्रारंभिक दो-चार जत्थे ही सत्याग्रह कर पाये थे कि सत्याग्रह स्थगित हो गया। कुल मिलाकर 10,751 सत्याग्रहियों ने भाग लिया।

7 जुलाई को सत्याग्रह बंद करने की घोषणा हुई। इसके पूर्व ही कार्य समिति ने इस संबंध में विचार किया तथा आगे जनसंघ का संगठन दृढ़ करने की दृष्टि से योजना बनाई। पं. मौलिचंद्र शर्मा के सबल कंधों पर प्रधानमंत्री (जनसंघ) के साथ-साथ कार्यकारी अध्यक्ष का भी भार सौंपा गया। अपने स्वास्थ्य की भी चिंता न करते हुए इन्होंने सतत भ्रमण करके जनसंघ के संगठन कार्य के लिए कितना श्रम किया है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। आज हमने पुनः उन पर यह भार सौंपा है और हमें विश्वास है कि जिस महान ध्येय की पूर्ति के लिए जनसंघ चला है, उसकी निरंतर प्रेरणा इनसे मिलती रहेगी।

16-15 अगस्त, 1953 को प्रयोग में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन हुआ। उसमें जनसंघ के आगे के कार्यक्रमों पर विचार हुआ। विधान में कतिपय संशोधन किए गये तथा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मारक बनाने का निश्चय हुआ। तदर्थ निधि एकत्र करने के लिए अपील निकलवाने तथा ट्रस्ट बनाने की व्यवस्था की गई है। अधिवेशन से लौटकर हमें निधि एकत्र करने के काम में जोरों से जुट जाना पड़ा।

(पांचजन्य, फरवरी 8, 1954**)**

डॉ. मुखर्जी पृथकवादी प्रयासों के घोर विरोधी थे

दीनदयाल उपाध्याय

वह 23 जून का दिन था, जब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला के कारागार में एक 'शहीद की मृत्यु' को अंगीकार किया। शेख अब्दुल्ला उस समय जम्मू-कश्मीर राज्य का अप्रतिबाधित 'प्रधानमंत्री' था। बाद में उसे न केवल पद से हटा दिया गया, वरन पांच वर्ष के लिए जेल भी भेजा गया। छूटते ही उसने फिर अपनी कार्रवाई शुरू की। आज वह पुनः जेल के सींखचों के भीतर है और उस पर राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप है, परंतु जिन कारणों से डॉ. मुखर्जी ने शेख की जेल में जाना स्वीकार किया और परिणामतः मृत्यु का आलिंगन किया। वह आज भी अधूरा है, अपूर्ण है।

डॉ. मुखजी का लक्ष्य

डॉ. मुखर्जी ने देश की एकता के लिए अपना जीवनदान कर डाला। भारतीय संविधान द्वारा जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए स्वीकृत और संरक्षित मूलभूत अधिकारों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव उन्हें असहाय था। अब्दुल्ला और उसके सहयोगियों की निरंकुश वृत्ति को उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। राज्य सरकार द्वारा उत्पीड़ित जम्मू की जनता से भी असंतुष्ट थे और इस बात से कदापि सहमत नहीं थे कि वहां की शेष जनता मुसलमानों के अत्याचारों को इसलिए चुपचाप सहन करती जाए,ताकि जम्मू-कश्मीर भारत का एक अंग बना रहे। उनकी दृष्टि में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार का पक्ष लेना और जनता के हितों की उपेक्षा करना अनुचित था। जम्मू और कश्मीर संबंध अनेक ऐसी महत्वपूर्ण चीजों का उल्लेख डॉ. मुखर्जी ने पंडित नेहरू को लिखे गये अपने पत्र में किया है।

संबंधों में सुधार

यह सही है कि जम्मू-कश्मीर प्रजा परिषद और जनसंघ द्वारा किए गए आंदोलनों और डॉ. मुखर्जी के बलिदान के कारण इस राज्य के कानूनों और भारत के साथ संबंधों में कई सुधार हुए हैं, लेकिन मूलरूप से शासन और जनता के प्रति होने वाले व्यवहारों में आज भी साधारण से ही परिवर्तन दिखेंगे। इस दृष्टि से बख्शी और अब्दुल्ला की सरकारों का रुख संभावतः समान है। जम्मू-कश्मीर राज्य आज भी भारत का अविभाज्य अंग नहीं है। जम्मू-कश्मीर में भारत सरकार नहीं है। वहाँ पर शासन प्रांतीय सरकार के द्वारा ही होता है। भारतीय संसद की प्रभुसत्ता इस राज्य के लिए प्रभुसत्ता नहीं है। इस राज्य के अंतर्गत हमारी सम्पादन और नौकरी के लिए कई सीमाएँ हैं।

राज्य सरकार के कुप्रयास

राज्य सरकार इस बात को समझाने का प्रयास कर रही है कि जनता को इस प्रकार की भेदभाव की नीति जारी रखने में कई लाभ हैं। एक निहित स्वार्थ को यहाँ लगाया जा रहा है। इस प्रकार जहां इससे भारत और जम्मू-कश्मीर की जनता के मध्य एक मनोवैज्ञानिक खाई उत्पन्न की जा रही है, वहीं पर राज्य के आर्थिक विकास में भी बाधा उत्पन्न की जाती है। भारत सरकार जबकि बिना किसी पक्षपात के विदेशी पूंजी को भी भारत में आमंत्रित करती है और कई बार तो उसका पक्ष भी लेती है, जम्मू-कश्मीर राज्य में भारतीय उद्योगपतियों को अपना उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। कश्मीर की जनता केन्द्र सरकार के अनुदानों के बल पर जीवित नहीं रह सकती। उसे तब उपयोगी नौकरी प्रदान करनी होगी और यह तभी संभव है, जबकि राज्य का आधिपत्य हो। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार केवल दर्शकों और पर्यटकों को आमंत्रित करती है। किसी पूंजी लगाने वाले को वहाँ प्रवेश नहीं मिल सकता है।

सरकारी पक्षपात

सरकारी प्रशासन ने जम्मू के 50,000 परिवारों को राज्यविहीन घोषित कर उन्हें नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया है। भारत सरकार इस प्रकार के प्रवासी भारतीयों की, जो आज लंका में है, क्या चिंता कर सकती है, जबकि वह अपने ही लोगों की उन्नति कर सकने में असमर्थ है। इस प्रकार के परिवारों के मूलभूत अधिकारों को अस्वीकार करते समय साम्प्रदायिक आधार पर विचार किया जाता है। राज्य सरकार को डर है कि यदि जम्मू के सभी लोगों को मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया तो विशेष वर्ग विशेष 'का अनुपात उलट हो सकता है।

विधानसभा में प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निश्चित न करके संवैधानिक उपबंधों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार कश्मीर का पलड़ा भारी पड़ता है। यह हमें अंग्रेजों की उस कूटनीति का स्मरण दिलाता है, जिसके द्वारा अंग्रेज अल्पसंख्यकों को अधिक अधिकार देते थे।

केवल भारत के अन्य नागरिकों को ही यहां मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है वरन राज्य के ही लोगों को संसद में अपनी भागीदारी का अनुरोध नहीं है। राज्य विधानसभा के चुनावों के आधार पर राष्ट्रपति ही यहाँ से मंत्रियों का नामांकन करता है। इस प्रकार संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, जनता का प्रतिनिधित्व कद अन्य नहीं। इसके परिणामस्वरूप चुनाव संघर्ष क्षेत्रीय और प्रांतीय आधार पर होता है। उसका कोई अखिल भारतीय स्वरूप नहीं है। यहां के राजनीतिक दल मुश्किल से अखिल भारतीय नीतियों से संबंध रखते हैं। प्रजा प्ररिषद के अनुसार राज्य के लोगों को भारत विषक विशेष जानकारी ही नहीं है। राज्य सरकार संविधान और शासन के अधिकारों के विषय में भी बहुत पक्षपाती है। यह केवल सत्तारूढ़ दल की स्वाभाविक कमजोरी नहीं, अपितु राष्ट्रीय कांफ्रेंस के प्रति पक्षपात की दत्त को प्रभावित करता है। जनता में ऐसे भाव

विकसित किए जाते हैं, जिससे वे अपने को भारतीय न अनुभव करें, भारत के साथ भावात्मक एकात्मता के विचार उनमें न उत्पन्न हों, इस कारण से ही राज्य का एक अलग झंडा, सदर-ए-रियासत और पृथक संविधान रखा गया।

डॉ. मुखर्जी द्वारा विरोध

डॉ. मुखर्जी इन सभी पृथकवादी प्रयासों के घोर विरोधी थे। वे संविधान की 370 वीं धारा को निकालने के पक्षपाती थे, जो कि अस्थायी रूप से संविधान में प्रविष्ट किए गए थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि भारत सरकार कश्मीर के लिए विशेष प्रकार की छूट देती है, तो इसी प्रकार की मांग कई ओर से की जाने लगेगी। उनके सुझाव आज सत्य अनुक्रम हो रहे हैं। जिस प्रकार के गति और प्रांत की मांग के रूप में आज अकाली आंदोलन जोर पकड़ रहा है। छूत का यह रोग उठता ही जा रहा है।

सरकार ने अपने को अकाली आंदोलन की मांगों के खिलाफ घोषित किया है। देश के सभी राष्ट्रवादी दल और जनता का भी यही मत है। हालांकि कश्मीर के विधान का क्या होगा? यह भी तो इसके साथ ही दूर करना चाहिए।

सम्पूर्ण राष्ट्र डॉ. मुखर्जी का जन्म दिवस मनाएगा आइए, हम इस बात के लिए प्रतिज्ञा करें कि हम उस लक्ष्य को पूर्ण करके ही रहेंगे, जिसके लिए डॉ. मुखर्जी ने अपना जीवन होम कर दिया। उनकी मृत्यु संविधान की 370 वीं धारा के कारण ही हुई। आज हम यह नहीं कह सकते कि उसके कारण और साथ ही कितने लोग कष्ट उठाएंगे और उसी स्थिति को प्राप्त करेंगे।

जम्मू के मार्ग पर डॉ. मुखर्जी ने एक सभा में कहा था, 'लेग दूंगा या जान दूंगा'। उनके विधान का अर्थ राज्य का एक प्रस्ताव नहीं था। वे भारतीय संविधान को कश्मीर की जनता को प्रदत्त करना चाहते थे। आज भी कश्मीर राज्य का एक प्रस्ताव है, पर भारतीय संविधान उनकी सरकार नहीं है। हमें उस क्षण तक विश्राम नहीं लेना है, जब तक कि जम्मू-कश्मीर के हमारे भाई भी उस संविधान के अधिकारों और स्लावों का सुख न प्राप्त कर सकते हैं, जिसका हम लोग करते हैं। हमें वह स्थिति लानी है, जबकि कश्मीर की जनता संविधान के अनुसार हमारे कंधे से कंधा सहित चल सकती है। ऐसी स्थिति में ही वे चीन और पाकिस्तान द्वारा किए गए गऐ भूमि अपहरण से उत्पन्न वेदना को अनुभव करेंगे। केवल वे अपना सर्वस्व त्यागकर इस अपहृत भू-भाग को पुनः प्राप्त करने के लिए तत्पर होंगे। संविधान से 370 वीं धारा का तटस्थकासन देश और कश्मीर राज्य की जनता में जागरूकता और चैतन्यता उत्पन्न करने के लिए जादू जैसा कार्य करेगा। लद्दाख क्षेत्र पर चीनी कब्जे को ध्यान में रखते हुए जम्मू-कश्मीर और भारत के बीच उत्पन्न की गई सभी परस्पर संकीर्णताओं को दूर करना आवश्यक है।

(पांचजन्य 4 जुलाई, 1960)

30 अगस्त, 1968 को लोकसभा में भारतीय जनसंघ के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऐतिहासिक भाषण के प्रमुख बिंदु

- सदन का मत है जम्मू-कश्मीर राज्य की वर्तमान असंगत स्थिति का अंत किया जाना चाहिए, जिसमें यह राज्य भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी इसका अलग संविधान है, अलग राज्याध्यक्ष है और अलग झंडा है।
- जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के साथ पूरी तरह से बराबरी पर लाया जाना चाहिए, और इस उद्देश्य के लिए सदन सिफारिश करता है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सभी आवश्यक कार्यवाहियां तुरंत शुरू की जाएँ।
- जम्मू-कश्मीर का संविधान अभी तक अलग है। जम्मू-कश्मीर भारत का अटूट भाग है, लेकिन जम्मू-कश्मीर की नागरिकता पृथक है। कश्मीर को हम भारत माता का किरीट कहते हैं, मुकुटमणि कहते हैं, लेकिन कश्मीर का झंडा अलग है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है?
- संविधान के निर्माताओं की मंशा बिल्कुल साफ़ थी कि यह अनुच्छेद कुछ समय के लिए है। पंडित नेहरु ने स्वयं कहा था यह धारा घिसते-घिसते घिस जाएगा। क्या इसका अर्थ यह है कि वह बना रह जाएगा? आप कह सकते हैं कि आज उस को पूरी तरह से ख़त्म करने का समय नहीं है, लेकिन हम ऐसे समय की कल्पना नहीं कर सकते कि अनुच्छेद 370 जो अस्थाई है, वह स्थाई कर दिया जाएगा।
- क्या पाकिस्तान के लिए हमने यह अनुच्छेद 370 रखा हुआ है? वह तो जब भी आप कोई नया कानून वहां पर लागू करते हैं तो शोर मचाता है। पाकिस्तान तो शोर मचाने वाला ही है। लेकिन अगर भारत की राष्ट्रीय एकात्मता का कारवां पाकिस्तान के शोर मचाने से रुक जाएगा तो यह देश के लिए बड़े दुर्भाग्य का दिन होगा। हम जम्मू-कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को एक पक्ष नहीं मान सकते।
- मेरा निवेदन है कि आज मामला सुरक्षा परिषद में मौजूद है, पाकिस्तान उसको नए सिरे से कुरेदने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यह और भी आवश्यक हो गया है कि वह मनोवैज्ञानिक दीवार जो कश्मीर की जनता और हमको बाँटती है, ख़त्म कर दी जाए।

(खण्ड – 3)

लोकसभा में ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन विधेयक धारा 370 पर बहस
(सितंबर, नवंबर, दिसंबर 1964)

11 सितम्बर, 1964 को बिजनौर से निर्दलीय सांसद प्रकाश वीर शास्त्री ने अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए निजी बिल संसद में प्रस्तुत किया। जिसपर लंबी चर्चा हुई। इस चर्चा में राममनोहर लोहिया, श्री एच.एन. मुखर्जी, के.हनुमंथैया, सरजू राय, एन.सी. चटर्जी, एम.एस. अणे, श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा, श्री समनानी, श्री अब्दुल घनी गोनी, भागवत झा आजाद आदि देश के बड़े नेताओं ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रकाश वीर शास्त्री के विधेयक का समर्थन किया था और अनुच्छेद 370 को हटाने की बात कही थी। इसी तरह जनसंघ के अतिरिक्त कई निर्दलीय सांसदों ने भी इस 370 को घाटी के लिए नुकसानदेह बताया था।

इस विधेयक की चर्चा में भाग लेने वाले वरिष्ठ नेता –

1. श्री प्रकाश वीर शास्त्री (निर्दलीय)
2. श्री एच. वी कामथ (सोशलिस्ट पार्टी)
3. श्री राममनोहर लोहिया (संयुक्त समाजवादी दल)
4. श्री एन. सी. चटर्जी (निर्दलीय सीपीआई समर्थित)
5. श्री के. हनुमंथैया (कांग्रेस)
6. श्री सरजू पाण्डेय (सीपीआई)
7. श्री भागवत झा आज़ाद (कांग्रेस)
8. श्री इंद्रजीत मल्होत्रा (कांग्रेस)
9. श्री एस.एम. बनर्जी (निर्दलीय-सीपीआई समर्थित)
10. श्री शाम लाल सर्राफ (कांग्रेस)
11. श्री डी. सी. शर्मा (कांग्रेस)
12. श्री अब्दुल घनी गोनी (नेशनल कांफ्रेस-कांग्रेस)
13. श्री एस.एस. मोरे – कांग्रेस

14. सी. के. भट्टाचार्या – कांग्रेस
15. डॉ. एम. एस. अणे – निर्दलीय
16. श्री गोपाल दत्त मैंगी (निर्वाचित, कांग्रेस)

सांसद प्रकाशवीर ने फूंका था धारा 370 के खिलाफ बिगुल

उत्तर प्रदेश के बिजनोर से निर्दलीय सांसद रहे पंडित प्रकाशवीर शास्त्री ने 11 सितंबर 1984 वर्ष 1964 में लोकसभा में धारा 370 हटाने का प्रस्ताव किया था। विधेयक पेश करते समय उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था, "**दल और चुनावों से देश बड़ा होता है, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन अगर हमने यह ऐतिहासिक भूल आज न सुधारी तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।**"

अनुच्छेद 370 को हटाने संबंधित विधेयक

धारा 370 को हटाने से संबंधित विधेयक को प्रस्तुत करते हुए श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा था कि, "**जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित भारतीय संविधान की धारा 370 हटा दी जाए। मैं जब इस विधेयक को पारित होने के लिए सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं, तो मुझे वह सब याद आ रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने 1947 में कबालियों की आड़ में कश्मीर में अपनी सेनाएं भेजी, कैसे महीनों तक वहां पर खून की नदियाँ बहती रहीं?" एक अकेले सरदार वल्लभभाई पटेल ने बिना खून की एक बूंद गिराए लगभग साढ़े पांच सौ रियासतों को थोड़े ही समय में भारतवर्ष में विलय कर दिया, लेकिन यह इतनी बड़ी सरकार 17 वर्षों के बाद भी जम्मू-कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं कर पाई?**

जम्मू-कश्मीर मसले पर सरकार को चेताते हुए उन्होंने कहा कि, "**यदि सरकार ने इस स्थिति को जल्दी न संभाला तो मेरा अनुमान है कि यह समस्या सरकार के हाथों से निकल जाएगी और देश की अगली पीढ़ियाँ इस सरकार को कोसेंगी और इतिहास इस सरकार को कभी माफ़ नहीं करेगा।** सरकार ने संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि यह धारा धीरे-धीरे घिस जाएगी। संविधान सभा, पंडित नेहरु और गोपालस्वामी अयंगार के आश्वासनों और निर्णयों के बाद भी मैं नहीं समझ पाता कि संविधान की पवित्रता को नष्ट करने के लिए भारत सरकार ने इसे क्यों रखा हुआ है?

धारा 370 के दुष्परिणाम

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के लागू होने से दुष्परिणाम पर उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ है कि पाकिस्तान आज भारत के खिलाफ दूसरे देशों में न जाने किस-किस प्रकार से विष उगल रहा है। दूसरा जो देश हमारे संविधान या जो वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ हैं उन्हें भी संदेह होने लगा है कि कहीं वास्तव में अस्थायीपन तो नहीं है जैसा पाकिस्तान की सरकार कहती है। तीसरा सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि जम्मू-कश्मीर की जनता के मन भी अस्थिरता

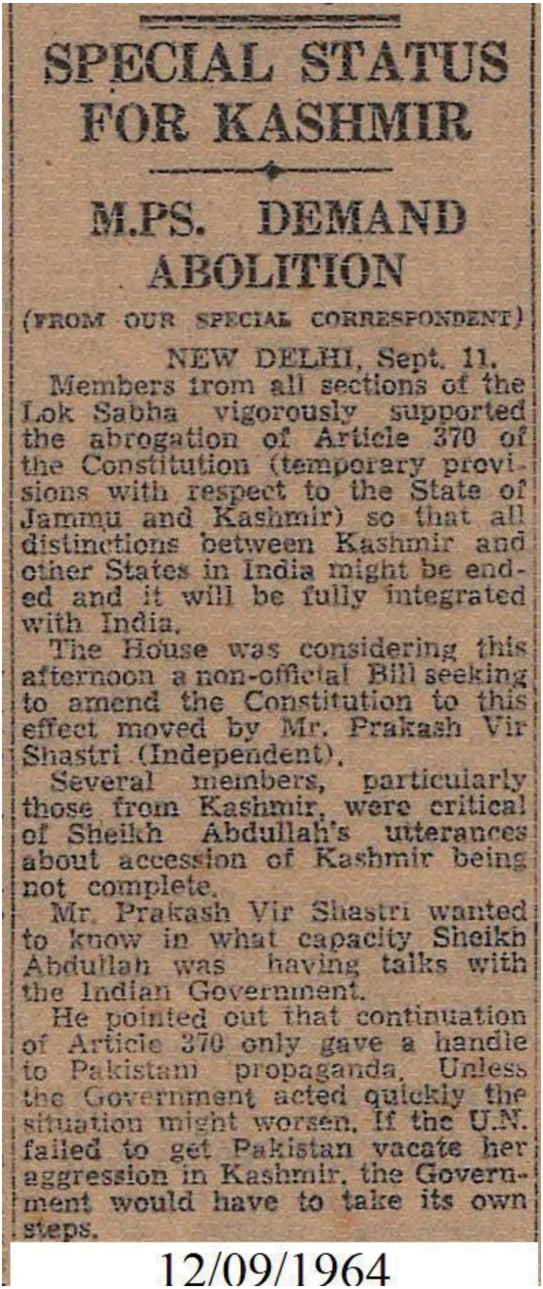

SPECIAL STATUS FOR KASHMIR

M.PS. DEMAND ABOLITION

(FROM OUR SPECIAL CORRESPONDENT)

NEW DELHI, Sept. 11.

Members from all sections of the Lok Sabha vigorously supported the abrogation of Article 370 of the Constitution (temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir) so that all distinctions between Kashmir and other States in India might be ended and it will be fully integrated with India.

The House was considering this afternoon a non-official Bill seeking to amend the Constitution to this effect moved by Mr. Prakash Vir Shastri (Independent).

Several members, particularly those from Kashmir, were critical of Sheikh Abdullah's utterances about accession of Kashmir being not complete.

Mr. Prakash Vir Shastri wanted to know in what capacity Sheikh Abdullah was having talks with the Indian Government.

He pointed out that continuation of Article 370 only gave a handle to Pakistani propaganda. Unless the Government acted quickly the situation might worsen. If the U.N. failed to get Pakistan vacate her aggression in Kashmir, the Government would have to take its own steps.

12/09/1964

फैलती है कि कहीं ऐसा न हो कि आगे चलकर यह स्थिति बदल जाए क्योंकि कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान के साथ उनकी किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई। ऐसे में वह बीच में किराए का चौधरी बनकर कैसे खड़ा हो सकता है?

अनुच्छेद 370 भारत के साथ विलय की धारा नहीं है

जम्मू-कश्मीर के भारत के साथ विलय की धारा 370 नहीं है और मैं सरकार से इच्छा रखता हूं कि अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देगी और इस बिल को स्वीकार करेगी और संविधान से इस कलंकित धारा को हटाएगी।

राममनोहर लोहिया (संयुक्त समाजवादी दल, फर्रुखाबाद)

★ जब तक आर्टिकल 370 है, तब तक भारत और जम्मू--कश्मीर का एकीकरण नहीं हो सकता। अनुच्छेद 370 हटाने की दलील में लोहिया ने कहा था, प्रधानमंत्री को कश्मीर के भविष्य के बारे में जनता के मन में अनिश्चितता नहीं पैदा करनी चाहिए।

★ यह एक ऐसे तूफान को जन्म देगा जिसका सामना करने की आपकी हिम्मत नहीं होगी।

★ 'अन्याय' के अनुच्छेद का समाप्त होना भारत की जनता एवं संविधान दोनों के साथ न्याय होगा।

★ जहां तक इस सरकार का सवाल है तो वह लुंज है, उसके एक ही पैर नहीं दोनों पैर गायब हैं और इसके लिए वह कोई न कोई सहारा ढूंढती रहती है।

★ इतनी हिम्मत आप में है नहीं, अगर पाकिस्तान के लोगों और सरकार के मन में यह भावना आ गई कि कश्मीर हमको मिलना चाहिए,तो इसके कारण जो गड़बड़ी होगी उसके लिये मैं जिम्मेदार इस सरकार को कहूंगा।

श्री गोपाल दत्त मैंगी (कांग्रेस, जम्मू तथा कश्मीर)

★ हिन्दुस्तान का आईन वहां लागू हो, सारी सुविधाएं, सारे बैनीफिट्स जो कि सेंटर की वजह से बाकी स्टेट को भी हासिल है।

★ मेरी सोची समझी हुई राय यह है कि 370 दफा जम्मू-कश्मीर के लिए हमेशा से लानत रही है। जिन्होंने इस दफा को बनाया उनके दिल में यह विश्वास था कि यह वरकत साबित होगी, उनका विश्वास था कि इससे जम्मू तथा कश्मीर की जनता का भला होगा, लेकिन चौदह वर्ष के बाद इस हाउस में मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन पिछले चैदह बरसों में इस दफा की वजह से हम बाकी स्टेट्स देश के मुख्तलिफ अंग हैं। उसी तरह से जिस तरह से शरीर के मुख्तलिफ अंग होते हैं। 370 दफा की वजह से भारत का वह अंग जिसको जम्मू-कश्मीर कहा जाता है, सिकुड़ कर रह गया है, कमजोर होकर रह गया है।

★ जम्मू–कश्मीर की जो अवस्था है, मै उससे आपको अवगत कराना चाहता हूं। उसकी अवस्था बाकी देश की अवस्था से पिछड़ी हुई है वहाँ की जनता की अवस्था को सुधारने के लिए यह जरूरी है कि इस दिवार को गिरा दिया जाए। जब तक यह दिवार नहीं गिरेगी, तब तक वहाँ की जनता का भला नहीं होगा।

★ हम हिंदुस्तान का पूरा अंग बनाना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान की पोलिटिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में पूरा हिस्सा लेना चाहते हैं। उसके पूरे हिस्सेदार बनाना चाहते हैं।

★ यह जो रिजर्वेशन आप लेकर चलते हैं, इससे हमको नुकसान हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान में जम्मू-कश्मीर के अलावा कोई और स्टेट है, जहाँ पर रेलवे लाइन न गई हो, क्या कोई और स्टेट है हिंदुस्तान में जहाँ केन्द्रीय सरकार का कारखाना न हो। जहाँ पर पब्लिक अंडर टेकिंग्स है उसको देखने के लिए, देखभाल करने के लिए एक पब्लिक अंडर टेकिंग कमेटी बनी है इस सदन की, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई पब्लिक अंडर टेकिंग भी आपका नहीं है।

सरजू पाण्डेय (रसड़ा, सीपीआई)

★ कश्मीर के बारे में भारत सरकार की नीति शुरू से लेकर अंत तक गलत रही और राष्ट्र संघ जाने का कोई सवाल ही नहीं था। यह मानी हुई बात है और सब लोग, हिन्दुस्तान की जनता और सारी दुनिया जानती है कि अमरीका और ब्रिटेन कहते थे कि कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है। फिर भी आप उस पर भरोसा किये हुए बैठे हैं।

- इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ करना है तो आज ठीक प्रस्ताव आया है। आना तो इसको बहुत पहले चाहिए था, लेकिन आज ही सही। यह बिल्कुल तय बात है कि भारत सरकार को साफ-साफ ऐलान करना चाहिए कि उसकी कश्मीर की नीति क्या है?

भागवत झा आजाद (कांग्रेस, भागलपुर)

- श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने सदन के सम्मुख जो विधेयक लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं।
- धारा 370, जिसको हमने कश्मीर के लोगों को विशेष सुविधाएं देने के लिए रखा था। इस धारा से उनको विशेष सुविधाएं नहीं मिली, बल्कि नुकसान पहुंचा है।
- आज तक इस धारा को क्यों नही हटा पाए, इसका कारण यह है कि हम अमेरिका और ब्रिटेन की ओर देखते हैं, आज हम शेख अब्दुल्ला की ओर देख रहे हैं।
- आज हिंदुस्तान सरकार को इस बारे ने अपनी नीति की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए। उसे किसका डर है?

एस.एम. बनर्जी (निर्दलीय, कानपुर, सीपीआई समर्थित)

- यह जो बिल मेरे मित्र श्री प्रकाशवीर जी शास्त्री ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि आज सदन में जितने भी माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया, खासकर हमारे कश्मीर से आये सदस्यों ने, चाहे वह गोनी साहब हों या दूसरे साहब हों, जब मैंने उनकी आवाज सुनी तो ऐसा मालूम होता था जैसे वह जीती जागती कश्मीर की आवाज हो।
- मैं समझता हूं कि आज अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति को देखते हुए यह जरूरी है कि कश्मीर को हर मामले में हिन्दुस्तान के साथ मिला दिया जाए, और लोगों के सामने डंके की चोट पर कहा जाये कि कश्मीर हिन्दुस्तान का था, हिन्दुस्तान का है और हिन्दुस्तान का रहेगा। मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए।
- अगर आज देश के सामने यह जवाब आयेगा कि संविधान की दफा 370 एबरोगेट नहीं हो सकती, अगर सरकार आज यह कहती है कि हम कश्मीर में हाईकोर्ट दे देंगे, हम कश्मीर में दूसरी चीजें दे देंगे, लेकिन अगर कश्मीर की जनता के सामने यह बात नहीं आती कि वह हिन्दुस्तान की जज़ है, तो मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी गलती होगी।
- पाकिस्तान में चुनाव हो चुके हैं और अगर वहां के लोगों ने गलती कर के अयूब शाही को कायम रखा, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान और चीन की नापाक साजिश है, उसको लेकर कश्मीर के मामले को फिर उछाला जायेगा और हो सकता है कि उस वक्त हमारे पास कश्मीर को रखने का साधन तलवार के जोर के सिवा और कुछ न रह जाये।

इंद्रजीत मल्होत्रा, {कांग्रेस (जम्मू) – सदस्य 2,3,4,5वीं लोकसभा}

- राज्य के लोग भी इस अनुच्छेद 370 के लिए कोई विशेष रूचि नहीं रखते हैं... निष्कर्ष रूप में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इस विधेयक को अपना संपूर्ण समर्थन देता हूं।

- गृह मंत्री जी के इस विधेयक का विरोध नहीं होना चाहिए। यदि वह इसे स्वीकार करने के लिए इस समय तैयार नहीं है तो वह हमें आश्वासन दे सकता है कि संसद के अगले सत्र में या छह महीने के बाद सरकार द्वारा विधेयक को लाया जाएगा और अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाएगा।

हरि विष्णु कामथ, (समाजवादी पार्टी– स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान, विचारक, बाद में जनता पार्टी के संसद सदस्य, पूर्व में संविधान सभा के सदस्य)

- मेरा मानना है कि गृह मंत्री, और बिना पोर्टफ़ोलियो के मंत्री [लाल बहादुर शास्त्री], पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान गृह मंत्री [गुलज़ारी लाल नंदा] दोनों ने इस मामले को अपने तरीके से आश्वस्त किया और सदन से वादा किया कि यदि इस धारा को तुरंत रद्द नहीं किया जा रहा था, तो समय के साथ यह स्वयं समाप्त हो जाएगा। इस आश्वासन को शिक्षा मंत्री [एमसी छागला] ने हाल ही में अपने कश्मीर दौरे के दौरान भी दिया था। उन्होंने तब इस धारा का उल्लेख किया और उन्होंने खुद इस धारा को निरस्त कर भारतीय संघ के साथ कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के पक्ष की बात कही थी।
- मैं अपना पक्ष रखता हूं, जहां तक इस धारा का सवाल है, जम्मू और कश्मीर राज्य इससे पीड़ित है, क्योंकि यह अनुच्छेद तमाम (अनुच्छेद 370) कठिनाइयों का कारण बनता है। यदि इस धारा को निरस्त किया जाता है तो राज्य को उतना ही लाभ होगा, जितना कि संघ के अन्य राज्य प्राप्त कर रहे हैं और जम्मू और कश्मीर उतना ही लाभान्वित होगा, जितना मैसूर, केरल, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे हर दूसरे राज्य होते हैं...

श्याम लाल सर्राफ, कांग्रेस (जम्मू और कश्मीर से राष्ट्रपति द्वारा मनोनित, राज्य में एक पूर्व मंत्री)

- एक बात मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि इन 17 वर्षों में हमारे राज्य को देश के बाकी राज्यों के बराबरी पर नहीं आने का नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे लोगों ने पीड़ा झेली है। हर कोई पीड़ित है... धारा 370 को बनाए रखने के कारण, देश के बाकी हिस्सों के बराबर राज्यों को नहीं लाकर, हम क्या कर रहे है? सबसे पहले, लोगों के मन में एक प्रकार की असुरक्षा है। दूसरा - मैं इसे स्पष्ट रूप से कहूंगा - कुछ मामलों में स्थानीय निहित स्वार्थ, उनमें से कुछ मेरे सहकर्मी हो सकते हैं - चाहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति को बनाए रखते हुए वे हर सुविधा का लाभ उठाएं।
- इस मामले में किसी भी सांप्रदायिक, संप्रदाय या किसी अन्य दृष्टिकोण को लाए बिना, मैं कहूंगा कि विशुद्ध रूप से ऐसे लोगों के दृष्टिकोण से राज्य की जनता को पीड़ा उठानी पड़ी है। सरकार एक उचित विधेयक लाए और इस अनुच्छेद को संविधान से हटाए।

के. हनुमंथैया (कांग्रेस, स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के सदस्य, कर्नाटक के दिग्गज नेता, मैसूर राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री (कर्नाटक), और 1962-1977 के बीच बैंगलोर से संसद सदस्य एवं केंद्रीय मंत्री)

- हमने तय किया था कि भारतीय राज्यों के लिए अलग संविधान की जरूरत नहीं है और पूरे

भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। हमने यह सिफारिशें कीं। जब हम भारतीय राज्यों के सदस्यों ने यह सिफारिश की, तो सरदार पटेल इसे स्वीकार करके बहुत खुश हुए और ऐसा ही किया...। अब हमने पाया है कि इस सदन में कश्मीर के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक संविधान के इस अनुच्छेद 370 को हटाने के विचार को प्रेषित किया है, जो एक तरह से पूर्ण एकीकरण के रास्ते में खड़ा है।

★ वर्तमान विधेयक अनुच्छेद 370 के तहत किए जा रहे थोड़े अंतर को खत्म करना चाहता है। कश्मीर के लोग उनके प्रतिनिधियों द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन करने से पूरी तरह से सहमत हैं। मैं गृह मंत्री से अपील करूंगा कि इस समस्या को लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से देखें और स्वीकार करें। कश्मीर में संसद के सदस्य ही नहीं, बल्कि चाहे जो भी हो, इस सदन में हम सभी की एक राय है कि इस विधेयक को कानून बनाया जाना चाहिए। इसके खिलाफ जाना या इस सदन की एकमत राय के खिलाफ कुछ भी कहना अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी के निर्वहन से बचना है। सरकार को दृढ़ संकल्प और साहस के साथ संचालित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से विदेशी मामलों में। जब संसद में पूरा भारतीय राष्ट्र और उसके प्रतिनिधि सरकार से एक विशेष बात करने के लिए कहते हैं, यदि आप अपने व्यक्तिगत अधिकार या प्रभाव का प्रयोग करते हैं और उस कार्रवाई के विपरीत या देरी करते हैं, तो यह न तो सही है और न ही उचित है।

डी. सी. शर्मा (कांग्रेस, गुरुदासपुर, लोकसभा)

★ मेरे सम्मानित मित्र, श्री गोपाल दत्त मेंगी ने कहा है कि धारा 370 एक दीवार है। मैं यह कहूंगा कि यह कोई दीवार नहीं है। अगर यह एक दीवार होती, तो मैं आसानी से और कुछ ही समय में दीवार को ध्वस्त कर सकता था। यह एक दीवार नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा पर्वत है, जो भारत और जम्मू और कश्मीर के बीच स्थित है। यद्यपि हमने बनिहाल सुरंग खोदी है और हमने बाकी सब कुछ किया है, हमने अभी तक इस पहाड़ को नहीं गिराया है; मुझे लगता है कि इस पहाड़ को डायनामाइट के साथ, अच्छी-इच्छाशक्ति, दृढ़ता और निर्णय के साथ ब्लास्ट किया जाना चाहिए। इस तरह से भारत का उद्धार होगा और इस तरह से जम्मू और कश्मीर के लोगों का कल्याण होगा।

अब्दुल घनी गोनी (नेशनल कांफ्रेंस (कांग्रेस), जम्मू और कश्मीर)

★ यह केवल एक अनंतिम प्रावधान है और संविधान में एक अस्थायी प्रावधान है जिसे किसी भी समय हटाया जा सकता है। लेकिन जहां तक अंतिम परिग्रहण का सवाल है, वह अंतिम है और कोई भी इसे चुनौती नहीं दे सकता। मैं सदन के सदस्यों से अपील करता हूं और न केवल विपक्षी सदस्यों से, बल्कि कांग्रेस सदस्यों से भी अपील करता हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें और इसे पारित करवाएं और भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 को निरस्त करवाएं, ताकि हम भी भारत के समान नागरिकों के रूप में शामिल हो सकें। प्रत्येक व्यक्ति ने कहा है (अनुच्छेद

370 को निरस्त करने की आवश्यकता है); पंडितजी ने कहा है और हमारे शास्त्रीजी (लाल बहादुर शास्त्री) ने कहा है और श्री जस्टिस छागला (केंद्रीय शिक्षा मंत्री) ने भी सुरक्षा परिषद में इसी तर्ज पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

★ अब हमें इसे निरस्त क्यों नहीं करना चाहिए? यह न केवल हमारी राजनीतिक समस्या को हल करेगा, बल्कि हमारे प्रतिद्वंद्वी के लिए एक अच्छा जवाब होगा। यह पाकिस्तान और उन सभी राष्ट्र-विरोधी ताकतों को एक अच्छा जवाब होगा, जो संयुक्त राष्ट्र में साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए मैं धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लोकतंत्र के नाम पर अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।

एन.सी. चटर्जी (निर्दलीय), (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा समर्थित, हिंदू महासभा के नेता, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पूर्व सहयोगी, स्वर्गीय सोमनाथ चटर्जी के पिता, लोकसभा अध्यक्ष और अनुभवी सीपीआईएम नेता)

★ "मैं यह समझने में विफल हूं कि सरकार को तुरंत फैसले लेने में क्या कठिनाई है और यह कहना कि "हम इस मांग का पूरी तरह समर्थन करते हैं। यह सांप्रदायिक मांग नहीं है। यह एक पार्टी की मांग नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय मांग है और यह राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में होगा"।

मेरे हाथ में 29 नवंबर, 1963 के द हिंदुस्तान टाइम्स की एक कतरन है, जो इस प्रकार है:

★ अनुभवी... नेशनल कांफ्रेंस के नेता श्री सादिक ने आज जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रशासन में अराजकता और भ्रष्टाचार की रिपोर्टों की पुष्टि की। "श्री सादिक जो सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा है कि राज्य में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाना आवश्यक है" मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि सामान्य स्थिति की बहाली के लिए, राज्य के लोकतांत्रिक जीवन के लिए और समग्र रूप से कश्मीर और भारत के लोगों के लिए अधिक सामंजस्य के लिए यह जरूरी है। हमें और देरी नहीं करनी चाहिए।

एस.एस मोरे (कांग्रेस, पुणे)

★ मैं वर्तमान बिल को अपना पूर्ण समर्थन देता हूं। मैंने धारा 370 पढ़ी है और यहां तक कि एक वकील के रूप में मैं उस धारा के पीछे के कारण या कारणों को समझने में सक्षम नहीं हूं। हम कहते हैं कि कश्मीर ने भारत को अंततः और अपरिवर्तनीय रूप से मान्यता दी है, लेकिन अनुच्छेद 370 इस तथ्य का प्रमाण है कि परिग्रहण अंतिम और पूर्ण नहीं है। विभिन्न लेखों में कश्मीर और भारत के बाकी हिस्सों के बीच एक प्रकार की दीवार है।

★ कश्मीर और महाराष्ट्र के बीच भेदभाव क्यों होना चाहिए? हमें भी एक अलग मुकाम पर होना चाहिए! इसलिए, मेरा मानना है कि यह सही समय है जबकि अनुच्छेद 370 को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। हर अवसर पर, सरकार सदन में हावी रहती है, लेकिन यह उन अवसरों

में से एक है जब सदन को निश्चित रूप से और स्पष्ट रूप से इसपर जोर देना चाहिए।

सी.के भट्टाचार्य (कांग्रेस रायगंज, पश्चिम बंगाल)

- ★ मैं कश्मीर के बारे में बोलूं तो मुझे कहना चाहिए कि कश्मीर के बिना कोई भारत नहीं हो सकता है और भारत के बाहर कोई कश्मीर नहीं हो सकता है। कश्मीर हमारे जीवन, आत्मा और संस्कृति में एकीकृत है, हर चीज में।
- ★ हमारे दिवंगत प्यारे प्रधानमंत्री ने खुद ही इस बात की अगुवाई की जब उन्होंने दूसरे सदन में कहा कि यह अनुच्छेद धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। यह केवल समय का सवाल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। यदि सरकार आज इस संकल्प को अपनाती है या विधेयक में बताई गई रेखा का अनुसरण करती है, तो वे हमारे दिवंगत प्रिय प्रधान मंत्री द्वारा बताई गई उस पंक्ति में आगे बढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 370 को मिटाने के लिए मिला है।

डॉ. एम.एस अणे (निर्दलीय सांसद, नागपुर) (लोकनायक बापूजी अनी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, लोकमान्य तिलक के राजनीतिक शिष्य, केंद्रीय विधान सभा के सदस्य, भारत के उच्चायुक्त, श्रीलंका के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल और फिर लोकसभा सदस्य)

- ★ सुविधा और समीक्षक के अनुरूप एक प्रावधान यहाँ किया गया है और जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह एक अस्थायी प्रावधान है। सुविधा के लिए एक प्रावधान अर्थात् अनुच्छेद 370 आया है। 'अस्थायी' शब्द का कुछ अर्थ है। एक चीज एक साल या दो साल, तीन साल या पांच साल के लिए एक अस्थायी के रूप में हो सकती है। लेकिन अगर यह पीढ़ियों तक चलता है, तो शेष अस्थायी के बजाय यह स्थिर हो जाता है।
- ★ 17 साल कोई मजाक नहीं है। हमने इन 17 वर्षों के दौरान कई कानून पारित किए हैं और हर बार जब हम एक कानून पारित करते हैं, तो हम यह कहकर कि "यह जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होगा।" पूरे भारत के लिए एक कानून पारित करते समय हम कहते हैं कि यह यहां लागू नहीं होगा। जम्मू और कश्मीर पर लागू हो। क्या यह उन लोगों के साथ दोस्ती करने का तरीका है। हम उन्हें बता रहे हैं। "आप भारत का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हम आपको अपना बनाने के लिए तैयार नहीं हैं।"
- ★ मेरे मित्र श्री खडिलकर (आर.के. खादिलकर, कांग्रेस, खेड़, महाराष्ट्र) ने कहा कि हम जल्दबाजी न करें। मुझे डर है, हमें धीमा नहीं जाना चाहिए। हम बहुत धीमे रहे हैं। यह आपके लिए जल्दबाजी हो सकती। लोगों को पता है कि कश्मीर और भारत एक अदृश्य, अविभाज्य, अविभाज्य इकाई है। इस कारण से, मैं प्रस्तुत करता हूं कि आज जो संकल्प सामने रखा गया है, उसे सदन को स्वीकार करना चाहिए।

जम्मू–कश्मीर और धारा 370 के सन्दर्भ में आवश्यक प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्नः क्या अन्य बदलाव किए जाने की जरूरत थी लेकिन वह नहीं किए गए?

उत्तरः हालाँकि, उन्होंने पिछले सालों में प्राप्त हुए बेहद सीमित संबंधों में कुछ सुधार लाए, लेकिन इन बदलावों ने मूल मुद्दे को नहीं छुआः जड़ों में संक्रमण, अलगाववादी मानस जो अनुच्छेद 370 में अंतर्निहित है। इसके अलावा एक विशाल क्षेत्र है जो राज्य सरकार के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है। इसमें समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां शामिल हैं। भारत के नागरिक जम्मू और कश्मीर के नागरिक नहीं हैं। यहां तक कि अगर वे राज्य में वर्षों से निवास कर रहे हैं तो भी उन्हें राज्य में संपत्ति का अधिकार हासिल नहीं है। उन्हें राज्य विधानसभा या स्थानीय निकायों या पंचायतों के चुनाव में वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू-कश्मीर की एक महिला अपनी संपत्ति खो देती है और अन्य अधिकार से भी वंचित हो जाती है अगर वह एक गैर-राज्य व्यक्ति से शादी करती है।

प्रश्नः कश्मीर को अधिकतम स्वायत्तता प्रदान करने के लिए कुछ लोग अक्सर मीडिया में एक सवाल उठाते हैं: धारा 370 को ही क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? अनुच्छेद 371A, 371G और अन्य के बारे में क्या?

उत्तरः यह एक भ्रामक प्रश्न है, जिसे अनुच्छेद 371A, 371G के विशेष प्रावधानों और अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों के बीच जनता के मन में संदेह पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जम्मू और कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों में कोई अलग संविधान नहीं है, कोई अलग नागरिकता नहीं है, भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों की कोई सीमित प्रयोज्यता नहीं है, न ही अवशिष्ट शक्ति का कोई विशेष वेस्टिंग, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कोई अलग आयोग आदि नहीं है.

प्रश्नः क्या यह आपका प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 370 में नकारात्मकता का समावेश है और यह नकारात्मकता कुलीन वर्गों की राज्य स्तर पर विशिष्ट मण्डली द्वारा शोषण की चपेट में है। जिन्होंने व्यक्तिगत और राजनीतिक शक्ति के अपने संकीर्ण अंत के अनुसरण में हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य विकासोन्मुख, गरीबी और अशिक्षा मुक्त समाज की स्थापना को

बुरी तरह प्रभावित कर दिया है?

उत्तरः हाँ, लेकिन मूल सिद्धांतों में अभी भी गहराई तक जाने की जरूरत है। विवादास्पद रूप से और गहराई से देखा गया, अनुच्छेद 370 वस्तुतः भारतीय संविधान के अनादर की वस्तु है। इसकी प्रारंभिक प्रविष्टि और उसके बाद का अवधारण यह मानता है कि हमारा संविधान कश्मीरी मुसलमानों के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए समावेशी, उदार, मानवतावादी और प्रबुद्ध नहीं है और उनकी पहचान और व्यक्तित्व को एक अलग संविधान अनुच्छेद 370 द्वारा ही संरक्षित किया जा सकता है। क्या पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे संघ के विभिन्न राज्यों का विशिष्ट व्यक्तित्व न केवल भारतीय संविधान के तहत बरकरार और उन्नत नहीं है? वही संविधान कश्मीरियत को संरक्षण और प्रगति क्यों नहीं दे सका? सर्वोच्च न्यायालय या चुनाव आयोग या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर क्या आपत्तियाँ की जा सकती हैं? क्या ये विस्तार न्याय के वितरण की एक मजबूत रूपरेखा, लेखांकन की बेहतर व्यवस्था और चुनाव कराने के लिए अधिक स्वतंत्र निकाय उपलब्ध नहीं कराएंगे? जम्मू और कश्मीर के लिए अलग राज्य आयोग का गठन क्यों होना चाहिए? राज्य के मुखिया और सरकार के मुखिया के लिए एक अलग नामकरण होने से एक आम कश्मीरी को कैसे लाभ होगा? यदि रक्षा, विदेश मामलों और संचार के विषयों को केवल केंद्रीय संसद / सरकार को सौंपा जाता है और शेष राज्य विधानमंडल / सरकार को सौंपा जाता है तो क्या होगा? जम्मू और कश्मीर सरकार तब वित्त की अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेगी जो वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 74 प्रतिशत (2010) प्रदान की जाती है? क्या सुरक्षा और शासन संरचना के 'नट और बोल्ट' को व्यवहार में अनदेखा किया जा सकता है? धारा 370 के पैरोकार भारत के बाकी हिस्सों से अर्जित कर-संग्रह से मिलने वाली भारी वित्तीय सहायता के बारे में एक शब्द क्यों नहीं कहते हैं?

Source: Jagmohan, My Frozen Turbulence in Kashmir, New Delhi: Allied Publishers, 12th revised edition, 2017

(खण्ड – 4)

अखंड भारत के संकल्प की सिद्धि

जनसंघ के जमाने से लेकर 2019 तक अनुच्छेद 370 एवं 35ए को हटाने और जम्मू-कश्मीर के विकास एवं शांति बहाल करने का संकल्प पार्टी ने निरंतर दोहराया है। भारतीय जनसंघ से भाजपा की अभी तक की यात्रा में पार्टी अपने सिद्धांतों और अपने मुद्दों पर अडिग रही है। अखंड भारत का जो सपना सरदार पटेल ने देखा था, जिसके लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी ने अपने प्राणों की आहुति दी। पार्टी धारा 370 और 35ए को हटाने की प्रतिबद्धता अपने घोषणा पत्रों एवं प्रस्तावों में प्रमुखता से शामिल करती आयी है।

जनसंघ के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन (29–31 दिसंबर 1952, कानपुर) में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्तव्य के मुख्य बिंदु–

- हमें दृढता से विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर के भारत में पूर्ण अधिमिलन का हमारा निवेदन सच्चे राष्ट्रवाद और भारत सहित कश्मीर की सुरक्षा, आवश्यकताएँ तर्कयुक्त हैं। क्यों शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में राज्य के मुसलमानों की एक बड़ी संख्या इस संविधान को स्वीकार करने में हिचकिचा रही है, जो पूरे स्वतंत्र भारत में लागू है। इस प्रश्न का कभी कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है? हमसे अक्सर कहा जाता है कि अगर जम्मू-कश्मीर पर भारतीय संविधान को लागू करने का अनुचित दबाव बनाया गया तो कश्मीर घाटी के मुसलमान भारत से अलग हो सकते है। यह तर्क एकदम दुर्बोध है, क्योंकि हमारा संविधान इस तरह से तैयार किया गया होता कि मुसलमान अपने भविष्य की नियति को लेकर असहज महसूस करने लगें अथवा संभावना लगने लगे कि उन्हें समान व्यवहार प्राप्त नहीं होगा, इन स्थितियों में किसी को इन तर्कों की विवशता समझ में आ सकती है।
- जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा यह घोषणा करे कि राज्य औपचारिक रूप से,

पूर्ण रूप से भारत में सम्मिलित हो चुका है। दुसरे चरण में जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को भारत में संविधान में प्रस्तावित नागरिकता, मौलिक अधिकार,सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, वित्तीय एकीकरण और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित प्रावधानों को स्वीकार करना शुरू कर देना चाहिए।

जनसंघ के घोषणा पत्र एवं प्रस्ताव में कश्मीर के सन्दर्भ में कुछ चुनिंदा अंश

कश्मीर

कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने के कारण तथा संयुक्त राष्ट्र में इसके प्रति अपनाए हुए रुख को ध्यान में रखते हुए जनसंघ अनुभव करता है कि कश्मीर के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ से अविलंब वापस ले लेना चाहिए तथा मत संग्रह का कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। अनिश्चितता की स्थिति समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि कश्मीर को भी भारत के साथ सम्मिलित होने वाले अन्य राज्यों के समान समझा जाए।

(21 अक्टूबर 1951, नई दिल्ली)

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से मुक्ति और धारा 370 को समाप्त करना –

जनसंघ का यह निश्चित मत है कि पाकिस्तान को कश्मीर के संबंध बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वह आक्रमणकारी है और उसके साथ इसी रूप में व्यवहार होना चाहिए। जनसंघ पाक अधिकृति कश्मीर की मुक्ति के लिए प्रत्येक संभव उपाय अपनाएगा। जनसंघ जम्मू–कश्मीर के पृथक संविधान रखने का विरोधी है। सदा के लिए सुरक्षित बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे पूर्ण रीति से संविधान के अंतर्गत लाने के लिए संविधान की धारा 370 को समाप्त किया जाए।

(लोकसभा चुनाव 1957, जनसंघ का घोषणा पत्र)

अनुच्छेद 370 की समाप्ति –

संविधान के जिस अस्थायी अनुच्छेद 370 के आधार पर जम्मू–कश्मीर प्रदेश का अपना

पृथक कानून बना हुआ है, वह इस एकीकरण के रास्ते में बाधा बना हुआ है। इसने जम्मू-कश्मीर और शेष भारत के लोगों के बीच एक मनोवैज्ञानिक रुकावट पैदा कर रखी है।

(भारतीय जनसंघ केन्द्रीय कार्य कार्यसमिति, कानपुर 15 जनवरी 1966)

भाजपा ने अपने गठन उपरांत अनुच्छेद 370 और 35ए से जुड़े संकल्प को अपने मुख्य एजेंडे में शामिल रखा और अंतत इस संकल्प को पूरा किया।

भाजपा के चयनित चुनावी घोषणापत्रों के अंश:

कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत –

भारतीय जनता पार्टी देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वह मानती है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है तथा भाषा, जाति और सम्प्रदाय के भेदभाव के बगैर सभी भारतीय एक हैं।

(भाजपा चुनावी घोषणा पत्र, 1984)

राष्ट्रीय एकता और अखंडता

भारतीय जनता पार्टी संविधान के अस्थाई अनुच्छेद 370 को खत्म करेगी।

(भाजपा चुनावी घोषणा-पत्र, 1989)

अनुच्छेद 370 मनोवैज्ञानिक रूप से अलग है –

हम संविधान के 'अस्थायी' अनुच्छेद 370 को हटायेंगे। यह मनोवैज्ञानिक रूप से जम्मू–कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से अलग करती है।

(भाजपा चुनावी घोषणा-पत्र,1991)

पूर्ण और आखिरी एकीकरण –

हम संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करेंगे "हम संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर देंगे, जो राज्य के पूर्ण और अंतिम एकीकरण के लिए जम्मू और कश्मीर को एक अलग और अलगाववादी आधार पर खड़ा करता है।"

(भाजपा चुनावी घोषणा पत्र, 1996)

जम्मू और कश्मीर

- ✶ जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। भारत की भौगोलिक एकता अखंड है। भारत इस राज्य के तीनों हिस्सों जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के समान और तीव्र विकास के एजेंडे को लागू करेगी।
- ✶ कश्मीरी पंडितों की अपने पूर्वजों की भूमि में ससम्मान, सुरक्षित और सुनिश्चित आजीविका के साथ वापसी सुनिश्चित करना भाजपा के एजेंडे में उच्च स्थान पर रहेगा।
- ✶ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के व अन्य शरणार्थियों की लम्बे समय से लंबित समस्याओं और मांगों को हल किया जाएगा।
- ✶ भाजपा धारा 370 के बारे में अपने दृष्टिकोण को दोहराती है और इस पर सभी पक्षों से चर्चा करेगी तथा इन धारा को हटाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।
- ✶ सुशासन, बेहतर अधोसंरचना, शैक्षणिक अवसर, स्वास्थ्य अवसर, स्वास्थ्य सेवा और अधिक रोजगार सृजन के लिए सारे कदम उठाए जाएंगे, ताकि घाटी में जीवन की बेहतर गुणवत्ता हो सके।

(भाजपा चुनावी घोषणा पत्र, 2014)

धारा 370 हटाने एवं जम्मू–कश्मीर के विकास की प्रतिबद्धता

पिछले पांच सालों में हमने निर्णायक कार्यवाही और एक दृढ नीति के माध्यम से जम्मू –कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किये हैं। राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास में आने बाधाओं को दूर करने और राज्य के हर क्षेत्र के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम जनसंघ के समय से अनुच्छेद 370 के बारे में अपने दृष्टिकोण को दोहराते हैं।

हम धारा 35ए को भी खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि धारा 35 ए जम्मू-कश्मीर के गैर-स्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। यह धारा जम्मू-कश्मीर के विकास में भी बाधा है। राज्य के सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हम सभी कदम उठाएंगे। हम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे और हम पश्चिमी पाकिस्तान , पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू–कश्मीर और छंब से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

(2019, संकल्प पत्र)

(खण्ड – 5)

अनुच्छेद 370 व 35ए के समाप्त होने पर वरिष्ठ लेखकों द्वारा लिखे गए लेखों के मुख्य बिंदु-

इस खण्ड में अनुच्छेद 370 एवं 35ए विषय पर विभिन्न लेखकों-विचारकों के लेख एवं लेख के अंश को शामिल किया गया है—

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने असंभव को संभव कर दिखाया

– अरुण जेटली (6 अगस्त, 2019)

संसद का वर्तमान सत्र उपलब्धियों की दृष्टि से अत्यंत सफल रहा है। दरअसल, इस दौरान कई ऐतिहासिक विधेयक पारित किए गए हैं। तीन तलाक कानून, आतंक पर कठोर प्रहार करने वाले कानून और अनुच्छेद 370 पर निर्णय – ये सभी निश्चित तौर पर अप्रत्याशित हैं। आम धारणा कि अनुच्छेद 370 पर भाजपा द्वारा किया गया वादा सिर्फ एक नारा है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है, पूरी तरह से गलत साबित हुई है। सरकार की नई कश्मीर नीति पर आम जनता की ओर से जो जबर्दस्त समर्थन मिल रहा है, उसे देखते हुए कई विपक्षी दलों ने आम जनता के सुर में सुर मिलाना ही उचित समझा है। यही नहीं, राज्यमसभा में इस निर्णय का दो तिहाई बहुमत से पारित होना निश्चित तौर पर कल्पना से परे है। मैंने इस निर्णय के असर के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के अनगिनत विफल प्रयासों के इतिहास का विश्लेषण किया।

विफल प्रयासों का इतिहास

विलय के प्रस्ताव (इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन) पर अक्टूबर, 1947 में हस्ताक्षर किए गए थे। पश्चिमी पाकिस्तान से लाखों की संख्या में शरणार्थी पलायन कर भारत आ गए थे। पंडित नेहरू की सरकार ने उन्हें जम्मू और कश्मीर में बसने की अनुमति नहीं दी थी। पिछले 72 वर्षों से कश्मीर पाकिस्तान का अपूर्ण एजेंडा रहा है। पंडित जी ने हालात का

आकलन करने में भारी भूल की थी। वह जनमत संग्रह के पक्ष में थे और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने की अनुमति दे दी। उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पर भरोसा करके उन्हें इस राज्य की बागडोर सौंपने का निर्णय लिया। फिर इसके बाद वर्ष 1953 में उनका विश्वास शेख साहब पर से उठ गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया। दरअसल, शेख ने इस राज्य को अपने व्यक्तिगत साम्राज्य में तब्दील कर दिया था। उस समय जम्मू-कश्मीर राज्य में कोई कांग्रेस पार्टी नहीं थी। कांग्रेसी दरअसल नेशनल कांफ्रेंस के सदस्य थे। कांग्रेस की एक सरकार नेशनल कांफ्रेंस के नाम से बना दी गई थी। इसके प्रमुख बख्शी गुलाम मोहम्मद थे। नेशनल कांफ्रेंस के नेतृत्व ने 'जनमत संग्रह मोर्चा' के नाम से एक अलग समूह बना दिया था। लेकिन नेशनल कांफ्रेंस का रूप धारण कर कांग्रेस आखिरकार चुनाव कैसे जीत पाती? वर्ष 1962 ,1957 और 1967 के चुनावों में निःसंदेह धांधली हुई थी। अब्दुल खालिक नामक अधिकारी,जो श्रीनगर और डोडा दोनों के ही कलक्टर थे, को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था। इस अधिकारी ने घाटी में किसी भी विपक्षी उम्मीदवार का नामांकन नहीं होने दिया था। इन तीनों चुनावों में ज्यादातर कांग्रेसी निर्विवादित ही निर्वाचित हो गए थे। कश्मीर घाटी की जनता का कांग्रेसी सरकार में कोई विश्वास नहीं रह गया था।

विशेष दर्जा देने और राज्य की बागडोर शेख साहब को सौंपने तथा बाद में कांग्रेस सरकारों के सत्तारूढ़ होने का यह प्रयोग एक ऐतिहासिक भूल साबित हुआ। पिछले सात दशकों के इतिहास से यह पता चलता है कि इस अलग दर्जे की यात्रा अलगाववाद की ओर रही है, न कि एकीकरण की ओर। इससे अलगाववादी भावना विकसित हो गई। पाकिस्तान ने इस हालात से लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसके बाद शेख साहब को रिहा करने और बाहर से कांग्रेस का समर्थन सुनिश्चित कर एक बार फिर उनकी सरकार बनाने का एक प्रयोग किया। यह प्रयोग वर्ष 1975 में किया गया था। हालांकि, कुछ ही महीनों के भीतर शेख साहब के सुर बदल गए और श्रीमती गांधी को यह स्पष्ट रूप से अहसास हो गया कि उन्हें नीचा दिखाया गया है।

शेख साहब के निधन के बाद इसकी बागडोर नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेताओं जैसे कि मिर्जा अफजल बेग को सौंपी जानी चाहिए थी, लेकिन शेख साहब कश्मीर को अपनी पारिवारिक जागीर में तब्दील करना चाहते थे। फारूक अब्दुल्ला इस तरह से शेख साहब के उत्तराधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री बन गए।

मुख्य धारा की पार्टी को मजबूती प्रदान करने की जगह 1984 के आरंभ में कांग्रेस ने सरकार को अस्थिर कर दिया। शेख साहब के दामाद गुल मोहम्मद की अगुवाई में नेशनल कांफ्रेंस के बागी गुट के साथ मिलकर और जोड़-तोड़ करके रातों-रात मुख्यमंत्री

बदल दिया गया। शाह को मुख्यमंत्री बनाया गया। जाहिर तौर पर नया मुख्यमंत्री हालात पर काबू नहीं पा सका। उसके बाद के वक्तव्यों से सीधे तौर पर साबित होता था कि उनकी हमदर्दी अलगाववादियों के साथ है। 1987 में श्री राजीव गांधी ने एक बार फिर से नीतियों को बदल दिया और फारूख अब्दुल्ला की नेशनल कांफ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। चुनाव में भी धांधली हुई। कुछ उम्मीदवार जिन्हें जोड़-तोड़ करके हराया गया था, वे बाद में अलगाववादी और तो और आतंकवादी तक बन गये।

90-1989 तक, हालात काबू से बाहर हो गये तथा अलगाववाद के साथ-साथ आतंकवाद की भावना जोर पकड़ने लगी। कश्मीरी पंडित जो कि कश्मीरियत का अनिवार्य भाग थे, उन्हें इस तरह के अत्याचार बर्दाश्त करने पड़े, जिस तरह के अत्याचार अतीत में केवल नाजियों ने ही किये थे। जातीय संहार किया गया और कश्मीरी पंडितों को घाटी से बाहर खदेड़ दिया गया।

जब अलगाववाद और उग्रवाद जोर पकड़ रहे थे, विभिन्न राजनीतिक दलों की अगुवाई वाली केन्द्र सरकार ने तीन नये प्रकार के प्रयास किये। उन्होंने अलगाववादियों के साथ बातचीत करने की कोशिश की, जो व्यर्थ साबित हुई। सरकारों द्वारा कश्मीर समस्या को द्विपक्षीय मामले के रूप में पाकिस्तान के साथ बातचीत करके हल करने की कोशिश की गई। सरकारें समस्या का समाधान तलाशने के लिए समस्या के जन्मदाता के साथ बातचीत कर रही थीं। बातचीत का प्रयोग विफल होने के बाद केन्द्र की बहुत सी सरकारों ने व्यापक राष्ट्रीय हित में जम्मू-कश्मीर की तथाकथित मुख्यधारा वाली पार्टियों के साथ समायोजन करने का फैसला किया। दो राष्ट्रीय दलों ने एक अवस्था पर दो क्षेत्रीय पार्टियों – पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस पर भरोसा करने का प्रयोग किया। उन्हें सत्ता पर आसीन कराया ताकि क्षेत्रीय पार्टियों की मदद से वे जनता के साथ संवाद कर सकें। हर मौके पर यह प्रयोग विफल रहा। क्षेत्रीय पार्टियों ने नई दिल्ली में एक जबान बोली तो श्रीनगर में दूसरी जबान में बात की। अलगाववादियों के तुष्टिकरण का सबसे खराब प्रयास गुपचुप रूप से संविधान में अनुच्छेद 35ए को सरकाने का 1954 का फैसला था। इसमें भारतीय नागरिकों की दो श्रेणियों के बीच भेदभाव किया गया और इसकी परिणति कश्मीर को देश के शेष भाग से दूर करने में हुई। इस बीच जमात ने उदार घाटी को सूफीवाद से वहाबवाद में परिवर्तित करने के लिये बड़ा अभियान छेड़ दिया।

अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के अंतर्गत विशेष दर्जा प्रदान करने की ऐतिहासिक भूलों की देश को राजनीतिक और वित्तीय, दोनों रूप से कीमत चुकानी पड़ी। आज, जबकि इतिहास को नए सिरे से लिखा जा रहा है, उसने ये फैसला सुनाया है कि कश्मीर के बारे में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दृष्टि सही थी और पंडित जी के सपनों का समाधान विफल साबित हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कश्मीर नीति

पिछले सात दशकों में समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न प्रयास किये गये, प्रधानमंत्री मोदी ने वैकल्पिक राह पर चलने का निर्णय लिया। सैकड़ों की संख्या में अलगाववादी नेताओं और हथियारबंद आतंकवादियों ने राज्य और देश को बंधक बना रखा था। देश ने हज़ारों नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों को खोया। विकास पर खर्च करने की बजाय हम सुरक्षा पर खर्च कर रहे हैं। वर्तमान निर्णय यह स्पष्ट करता है कि जिस तरह देश के अन्य भागों में कानून का शासन है उसी तरह कश्मीर में कानून का शासन लागू होगा। सुरक्षा के कदम कड़े किये गये हैं। बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया किया गया है। उनकी संख्या में काफी कमी आई है। अलगाववादियों को दी गई सुरक्षा वापस ली गई, आयकर विभाग तथा एनआईए ने ऐसे गैर-कानूनी संसाधनों का पता लगाया जो इन अलगाववादियों और आतंकवादियों को मिल रहे थे। इन दोनों श्रेणियों के बीच पिछले 10 महीनों में सैकड़ों लोग पीड़ित हुए हैं, लेकिन कश्मीर घाटी की बाकी आबादी ने दशकों बाद शांति का युग देखा है। अब घाटी में कश्मीरी मुस्लिम के अलावा किसी अन्य के नहीं रहने से लोग आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं। बहुत लोग भय के कारण अन्य राज्यों में चले गये हैं।

कानून और व्यलवस्था कठोरता से लागू की गई और कानून तोड़ने वाले किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं गया। लाखों कश्मीरी लोगों की जिंदगी सुरक्षित की गई और इन कदमों से मुट्ठीभर अलगाववादियों पर दबाव बनाया गया। पिछले 10 महीनों में किसी तरह का विरोध नहीं हुआ है। यहां तक कि श्रीनगर में भी नहीं। अगला तार्किक कदम स्पष्ट रूप से उन कानून की फिर से समीक्षा करना है जो अलगाववादी मानसिकता को जन्म देते हैं। देश के साथ राज्य का पूर्ण एकीकरण करना पड़ा।

पीडीपी तथा नेशनल कांफ्रेंस द्वारा यह दलील दी गई कि अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35ए को खंडित करने से कश्मीर भारत से टूटकर अलग हो जायेगा क्योंकि यह देश और कश्मीर के बीच एक मात्र सशर्त संपर्क है। यह दलील स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण है। अक्टूबर 1947 में परिग्रहण दस्तावेज़ (इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन) पर हस्ताक्षर किया गया। किसी भी व्यक्ति द्वारा एक बार भी अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 35ए का जिक्र नहीं किया गया। अनुच्छेद 370 संविधान में 1950 में आया। संविधान सभा में बहस 10 मिनट से भी कम हुई। सरकारी पक्ष के नेता चर्चा में शामिल नहीं हुए और एन. गोपालस्वामी आयंगर ने इस वचन के साथ प्रस्ताव रखा कि यह अस्थाई व्यवस्था है। इस विषय पर केवल एक सदस्य ने अपनी राय रखी। अल्पसंख्यक समुदाय के इस सदस्य ने अनुच्छेद 370 का विरोध नहीं किया। उन्होंने यह मांग की कि इसे उनके क्षेत्र में भी लागू किया जाये। आज केवल एक देश है जहां प्रत्येक नागरिक बराबर है। प्रारंभ में पंडित जी ने उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार जम्मू-कश्मीर तक बढ़ाने की अनुमति नहीं

दी। उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि वे एक उपराष्ट्र बना रहे हैं। शेख साहब को हटाने और उन्हें जेल में डालने के बाद ही इन संस्थानों का क्षेत्राधिकार जम्मू-कश्मीर तक हुआ। स्थिति को बदलने के निर्णय में स्पष्टता, विज़न तथा संकल्प की आवश्यकता थी। इसमें राजनीतिक साहस की भी जरूरत थी। प्रधानमंत्री ने संपूर्ण स्पष्टता और संकल्प के साथ इतिहास बनाया है।

कश्मीर के नागरिकों पर अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए का नकारात्मक प्रभाव

भारत का कोई नागरिक कश्मीर जाकर बस सकता है, वहां के विकास के लिए निवेश कर सकता है और रोजगार का सृजन कर सकता है। आज वहां कोई उद्योग नहीं है, मुश्किल से कोई निजी अस्पताल है, निजी क्षेत्र द्वारा कोई विश्वसनीय शैक्षिक संस्थान स्थापित नहीं किया गया है। भारत के सबसे सुंदर राज्य में होटल श्रृंखलाओं से भी निवेश नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों के लिए कोई नया रोजगार नहीं है, राज्य के लिए कोई राजस्व नहीं है। इससे राज्य के सभी क्षेत्रों में निराशा बढ़ी है। ये संवैधानिक प्रावधान पत्थर की लकीर नहीं है। कानून की निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें हटाया जाना था अथवा बदला जाना था। यहां तक कि संसद अथवा राज्य विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 35ए स्वीकृत नहीं था। यह अनुच्छेद 368 को चुनौती देता है, जिसके द्वारा संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित है। एक कार्यपालक अधिसूचना द्वारा इसे पिछले दरवाजे से लाया गया था। यह भेदभाव को अनुमति देता है और इसे न्याय से परे बताता है।

दो क्षेत्रीय दलों की भूमिका

दो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता भिन्न बातें बोलते हैं। अक्सर नई दिल्ली में दिए गए उनके वक्तव्य आश्वासन देने वाले होते हैं। किंतु श्रीनगर में वे भिन्न रूप में बोलते हैं। उनका रवैया अलगाववादी वातावरण से प्रभावित है। यह एक ऐसा कटु सत्य है कि दोनों ने सरजमीं पर समर्थन खो दिया है। कई राष्ट्रीय पार्टियों ने खुद को गुमराह होने के लिए छोड़ दिया है। राष्ट्रीय एकता के एक मुद्दे को धर्मनिरपेक्षता का एक मुद्दा बना दिया गया है। इन दोनों में साझा कुछ भी नहीं है।

इस पहल के व्यापक समर्थन ने कई विपक्षी दलों को भी पहल का समर्थन करने के लिए बाध्य कर दिया है। उन्होंने वास्तविकता का अनुभव किया है और वे लोगों की नाराजगी का सामना नहीं करना चाहते। यह एक पछतावा है कि कांग्रेस पार्टी की विरासत ने पहले तो समस्या का सृजन किया और फिर उसे बढ़ाया, अब वह कारण ढूंढने में विफल है। उदाहरणस्वरूप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने जब

'टुकड़े-टुकड़े' गैंग को समर्थन दिया था, तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी अलग राय थी। यह सरकार के इस फैसले के लिए लागू होता है। कांग्रेस के लोग व्यापक तौर पर इस विधेयक का समर्थन करते हैं। उनकी निजी और सार्वजनिक टिप्पणियां इस दिशा में हैं, किंतु एक दिग्भ्रमित के रूप में राष्ट्रीय पार्टी भारत की जनता से अपनी विरक्ति बढ़ा रही है। नया भारत एक बदला हुआ भारत है। केवल कांग्रेस ही इसे महसूस नहीं करती है। कांग्रेस नेतृत्व पतन की ओर अग्रसर है।

★★★

अनुच्छेद 370: शंकाओं का समाधान –

- 2016 से हर वर्ष जम्मू-कश्मीर को लगभग 48,910 करोड़ की सहायता केंद्र से दी गयी। बहुत कम धनराशि राज्य के विकास कार्य में लगाई गयी। भ्रष्टाचार के चलते जम्मू-कश्मीर में अच्छी रोड, स्वास्थ्य सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है।
- राज्य द्वारा स्थापित पंचायतें ठीक से काम नहीं कर रही थीं, जनतंत्र राज्य के गाँवो तक नहीं पहुँचा इसका दुष्परिणाम राज्य के पिछड़े और कमज़ोर वर्ग को भुगतना पड़ा। जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम 1989 लागू होने के बाद भी लगभग 12 वर्षों तक पंचायत के चुनाव नहीं हुए।
- पिछले कई वर्षों से जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र को राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा भी नहीं दिया। बैंक घोटाला, सरकारी नौकरियों में भर्ती घोटाला, लाइसेंस घोटाला, कई घोटाले सरकार करती रही, आम आदमी को पता भी नहीं चला।
- भारत के संविधान निर्माताओं ने आदिवासी जनजातियों की संस्कृति, अधिकार और आदिवासी क्षेत्रों के संरक्षण के लिए 5 वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी थी। जम्मू-कश्मीर में भाग 10 के लागू नहीं होने से राज्य की अनुसूचित जनजातियों का बहुत नुकसान हुआ है। वे 5 वीं अनुसूची से मिलनेवाली कई जनकल्याण की योजनाओं से वंचित रह गए।
- 35 ए के कारण बाहरी व्यक्ति यहाँ नौकरी नहीं कर सकता था परिणामस्वरूप अच्छे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी विषय के एक्सपर्ट यहाँ पढ़ाने नहीं आ पाते। मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजो में प्रोफेशनल्स नहीं आ रहे थे।
- पूरे देश में मल्टी नेशनल कम्पनीज अपने ऑफिस खोले रहे हैं, पर 35 A के कारण जम्मू-कश्मीर में न तो कोई मल्टी नेशनल कंपनी ऑफिस खोलती और न ही पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी मिलती। लोगों की आय सीमित होने के कारण बैंक बड़े लोन या क़र्ज़ नहीं देते हैं। इसके कारण लोकल आदमी कोई बड़ा व्यापार या उपक्रम शुरू नहीं कर पाता था।

जम्मू–कश्मीर और लद्दाखः यात्रा एकात्मता की

- ★ कुछ लोग कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर के अधिमिलन में देरी हुई जिसके कारण समस्या पैदा हुई। उन्हें यह जान लेना चाहिये कि अनेक राज्यों ने जम्मू-कश्मीर के बाद भारत में अधिमिलन किया। त्रिपुरा ने 1949 में अधिमिलन किया। अनेक राज्य इसके भी बाद भारत में शामिल हुए। जम्मू-कश्मीर आखिरी राज्य नहीं था।
- ★ बहुत असंवैधानिक तरीके से विधानसभाएं बन रही हैं और उसी पद्धति से चुनाव भी हो रहे हैं। चुनावों का मजाक बना दिया गया। किन्तु केन्द्र ने कोई कदम नहीं उठाया। इससे भी आगे जाकर इस प्रकार की धाँधली द्वारा जीते गये चुनाव से निर्वाचित संविधान सभा को मान्यता दी।
- ★ 1951 में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का चुनाव हुआ। चुनाव नहीं इसे मनोनयन ही कहेंगे। विपक्ष के नामांकन रद्द कर दिए गये। 75 में से शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के 73 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये। शेष दो भी उन्हीं के प्रत्याशी जीते। सभी 75 सदस्य नेशनल कांफ्रेंस के हो गये।
- ★ उस कालखंड में नेहरु जी ने शेख की अलगाववादी नीतियों के सामने समर्पण करते हुए सारी अपमानजनक बातें मानीं। दुनिया को यह दिखाने के लिए कि जम्मू-कश्मीर भारत के साथ है, उनकी हर जिद स्वीकार की। जबकि यह काम महाराजा हरि सिंह पहले ही कर चुके थे।
- ★ 1954 का आदेश ही असंवैधानिक था। भारत के संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़-छाड़ था। यह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों को सीमित करता था। "टेक्स्ट ऑफ़ ओथ" बदलता था। यह राष्ट्रपति के अधिकारों को सीमित करता था। यह भारत के निवासियों को दो वर्गों में बाँटने का काम करता था। इसने प्रीएम्बल में लिखे - "वी द पीपल ऑफ़ इण्डिया" को 14 मई 1954 को दो वर्गों में बाँट दिया।
- ★ जिस प्रक्रिया से 1954 का आदेश आया उसी से 2019 का आदेश आया है। अंतर इतना है कि 1954 का आदेश भारतीय संविधान को रोकने के लिए आया जबकि 2019 का आदेश राज्य में भारत का संविधान ले जाने के लिए आया है।
- ★ अनुच्छेद 370 की आड़ में किये गये 1954 के आदेश का ही नकारात्मक प्रभाव है कि इतने वर्षों के अंदर अनुसूचित जनजाति को राजनैतिक आरक्षण नहीं मिला। उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुसार आंका नहीं गया। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आज तक अधिसूचित नहीं किया। इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं मिला।
- ★ देश में लैंगिक असमानता की बात कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन इसी देश में जम्मू-कश्मीर राज्य ऐसा बना दिया गया, जिसमें जम्मू-कश्मीर की बेटियाँ अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकतीं। अगर वे विवाह करती भी हैं, तो वह अपने मौलिक

अधिकारों से वंचित हो जाती हैं।

- वास्तव में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जिस व्यवस्था ने जन्म लिया वह व्यवस्था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला और जम्मू-कश्मीर की आम जन की विरोधी थी। अनुच्छेद 370 ने केवल बाहर से आने वाले लोगों को प्रतिबंधित किया होता, तो बात अलग थी, लेकिन इसने तो जम्मू-कश्मीर के लोगों को संवैधानिक और मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया।
- जो काम 1947 में हो जाना चाहिये था वह काम 2019 में हुआ। जम्मू-कश्मीर के अंदर 72 साल में एक पूरी अव्यवस्था खड़ी हो गयी है। यह अव्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर हुई है। अब हर प्रकार से उस अव्यवस्था को ठीक करना है। इसमें कुछ समय लगेगा। इसके लिये सभी को मिल-जुल कर काम करना होगा और धैर्य और विश्वास का परिचय देना होगा।

मिल गया छुटकारा: अनुच्छेद 35ए, 370 जम्मू–कश्मीर की अवाम के लिए रोड़े थे, और कुछ नहीं

- 'विशेष' वह शब्द है, जिसका जम्मू-कश्मीर के मामले में सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया है। यहां दशकों तक अधिकारों के उल्लंघन, लोगों और संसाधनों के शोषण और जबरदस्त भ्रष्टाचार को 'विशेष' के नाम पर सही ठहराया गया और बढ़ावा दिया गया।

विशेषाधिकारों की गलत धारणा

- अनुच्छेद 370 से शक्ति ग्रहण करने वाले अनुच्छेद 35ए ने राज्य सरकार को यह निर्णय लेने का अधिकार दे दिया था कि जम्मू-कश्मीर का 'स्थायी नागरिक' किसे माना जाएगा। जो सरकार द्वारा तय कसौटी पर खरे उतरते थे, उन्हें स्थायी नागरिक प्रमाणपत्र (पीआरसी) दिए जाते थे और जिनके पास पीआरसी होते थे, कुछ निश्चित 'विशेषाधिकार' भी उन्हीं को मिलते थे। ये 'विशेषाधिकार' क्या थे? बारीकी से देखें तो तथाकथित 'विशेषाधिकार' कुछ और नहीं थे बल्कि वे अधिकार ही थे, जो अन्य राज्यों की जनता को वैसे ही मिले होते हैं!
    - अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार
    - योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन का अधिकार
    - उच्च तकनीकी शिक्षा का अधिकार
    - सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन का अधिकार
    - विधानसभा एवं स्थानीय निकाय चुनावों में वोट देने और हिस्सा लेने का

अधिकार

- ❖ सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से लाभ लेने का अधिकार
- ❖ अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार (हालांकि यह अधिकार राज्य की महिलाओं को नहीं मिला था)

★ यह समझना जरूरी है कि समाज के विभिन्न वर्गों को अभी तक कैसे नुकसान हो रहा था।

★ चूंकि कानून जम्मू-कश्मीर में स्वतः लागू नहीं हो सकते थे, इसलिए लोग बलात्कार निरोधक कानून, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम जैसे प्रमुख केंद्रीय कानूनों तथा 100 से भी ज्यादा दूसरे अहम कानूनों से होने वाले फायदों से वंचित रह जाते थे।

पिछड़े समुदाय

★ वंचित वर्गों यानी अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) को पीआरसी धारक होने के बाद भी आरक्षण के उन लाभों से वंचित रहना पड़ता था, जो उनके भाइयों को दूसरे राज्यों में मिलते थे।

★ जम्मू-कश्मीर की स्थानीय नागरिक अनुसूचित जनजातियों की आबादी में लगभग 10 प्रतिशत हिस्सेदारी है, लेकिन राज्य विधानसभा में उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया है।

★ 2002 में जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा ने विधानसभा सीटों के परिसीमन पर 2031 तक के लिए रोक लगा दी। इससे राज्य के पिछड़े इलाके विधानसभा में समुचित प्रतिनिधित्व से वंचित रह गए, लेकिन राहत के लिए कोई अदालत तक नहीं जा सका।

महिलाओं के साथ कानूनी भेदभाव

★ चूंकि पीआरसी के नियमों ने महिलाओं से अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार छीन लिया था, इसलिए यदि कोई पीआरसी धारक महिला बगैर पीआरसी के व्यक्ति से विवाह करती थी तो उसके परिवार को ऊपर बताया गया कोई भी विशेषाधिकार नहीं मिलता था। इसका सीधा मतलब था कि उसके परिवार को या तो दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह जीना पड़ता था या वे जम्मू-कश्मीर से बाहर जाने का फैसला कर लेते थे।

★ यह कानून पुरुषों पर लागू नहीं होता था - उनकी पत्नी और संतानों को 'नागरिक' का दर्जा स्वतः ही मिल जाता था।

विस्थापित परिवार

- राज्य सरकार ने अन्याय भरा निर्णय करते हुए 2014 और 2016 के बीच ऐसे 4300 परिवारों को स्थायी नागरिक का दर्जा देने से इनकार कर दिया, जिनके पूर्वज 1947 में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) से आए थे। ये परिवार महाराजा हरि सिंह के शासन में जम्मू-कश्मीर के आधिकारिक नागरिक (राज्य की जनता) थे और 48-1947 में राज्य के कुछ हिस्सों पर जबरन कब्जा करने वाले पाकिस्तान के अत्याचारों से बचने के लिए दूसरे क्षेत्रों में चले गए थे। उन परिवारों को प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत पीओजेके के विस्थापित व्यक्तियों को मिलने वाली सहायता भी नहीं दी गई।
- हैरत की बात यह है कि राज्य के कानून बंटवारे के दौरान पाकिस्तान जा चुके लोगों को जम्मू-कश्मीर में वापस आने तथा अपनी जमीन एवं नागरिक अधिकार फिर प्राप्त करने की अनुमति देते थे!

पीआरसी नहीं पाने वाले बुनियादी अधिकारों से भी वंचित

- वे लोकसभा चुनावों में वोट दे सकते थे, लेकिन वे स्थानीय स्तर के चुनावों में न तो वोट दे सकते थे और न ही भाग ले सकते थे।
- राज्य में पिछले 70 वर्षों से यानी तीन पीढ़ियों से रह रहे ऐसे लाखों लोगों को अन्याय का शिकार होना पड़ा।

जिन समुदायों को अनुच्छेद 35ए के प्रतिगामी कानूनों का सीधा शिकार होना पड़ाः

वाल्मीकि (सफाई कर्मचारी)

- जम्मू-कश्मीर सरकार ने 1957 में 200 वाल्मीकि परिवारों को सफाई कर्मचारी के तौर पर नौकरी देने के लिए खास तौर पर पंजाब से बुलाया था। ये परिवार स्थायी नागरिक के दर्जे का आश्वासन मिलने पर राज्य में काम करने के लिए राजी हो गए। उन्हें यह नहीं पता था कि उनका दर्जा 'केवल सफाई कर्मचारी रहने तक' की शर्त के साथ सीमित कर दिया जाएगा। इस शर्त ने पीढ़ियों के अरमान चूर कर दिए।
- 60 वर्ष से भी अधिक बीतने पर इस समुदाय की संख्या बहुत बढ़ गई है। माता-पिता ने अपनी संतानों को स्कूल भेजा और उनके अच्छे भविष्य की उम्मीद की। लेकिन

उनके सपने और कोशिशें केवल इसीलिए चूर हो गए क्योंकि उनकी स्थायी नागरिकता सफाई कर्मचारी होने पर ही मान्य थी!

- उनके बच्चे सरकारी संस्थानों में दाखिला नहीं ले सके। वाल्मीकि परिवारों के शिक्षित युवा केवल सफाई कर्मचारी के पद पर ही आवेदन कर सकते थे। उन्हें प्रोन्नतियां भी नहीं दी गईं।

'पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी'–

- 1947 के बंटवारे के समय हजारों भारतीय अब पश्चिमी पाकिस्तान कहलाने वाले हिस्से से जम्मू-कश्मीर राज्य में आ गए थे, जिन्हें अभी तक 'पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी' कहा जाता था! 2019 में जन्मा बच्चा भी 'पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी' कहलाता था!
- वे दूसरे हिंदुओं की ही तरह थे, जिन्होंने भारत में रहना पसंद था, लेकिन वे जम्मू-कश्मीर राज्य में पहुंच गए। सात दशक से भी अधिक समय गुजरने के बावजूद उन्हें 'शरणार्थी' ही कहा जाता है और वे 'शिविरों' में रहने के लिए मजबूर हैं। तीसरी पीढ़ी तक पर 'शरणार्थी' का ठप्पा लगा है और उन अधिकारों तथा विशेषाधिकारों से वंचित है, जो उसे स्वतः मिल जाने चाहिए थे।
- उनकी स्थिति की तुलना उन लोगों से करिए, जो पाकिस्तान से भारत के दूसरे हिस्सों जैसे दिल्ली, मुंबई, सूरत आदि में आए थे। मकानों के आवंटन, नौकरी जैसे कई कल्याणकारी उपायों के जरिये उनका पुनर्वास किया गया और उन्हें मुख्यधारा में शामिल कर लिया गया।
- 70 वर्ष तक बंधुआ मजदूरों की तरह रहने के बाद इन परिवारों को अब 'शरणार्थी' के ठप्पे से मुक्ति मिलने और सम्मान का जीवन जीने की उम्मीद है।

गोरखा

- ऐसे गोरखाओं के अनगिनत उदाहरण हैं, जिन्होंने भारत की अखंडता तथा जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया है। लेकिन उन्हें पीआरसी पाने में बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ा और पीआरसी के बगैर शिक्षित गोरखा युवक और युवतियां सरकारी नौकरी तथा शिक्षण संस्थानों में दाखिले नहीं पा सकते थे।

जवानों के बलिदान की अनदेखी–

- सशस्त्र बलों के जवानों ने राज्य की सीमाओं को पाकिस्तान और चीन से बचाते हुए तथा आतंकवाद विरोधी अभियानों में बड़ी संख्या में अपने जीवन बलिदान किए हैं।

★ सेना पर दुश्मन से लड़ते हुए जान देने वाले 21 जवानों को भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। उनमें से 14 दूसरे राज्यों के थे।

★ बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिन्होंने जम्मू-कश्मीर वासियों के जीवन और राज्य की एक-एक इंच भूमि की रक्षा करते हुए अपने जीवन तथा शरीर को खतरे में डाला और सर्वोच्च बलिदान किए, उन्हें सराहना के रूप में कभी जमीन का छोटा सा टुकड़ा तक नहीं दिया जा सकता! राज्य के कानून ऐसे थे!

प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार–

★ केंद्रीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी जम्मू-कश्मीर में तैनात हुए और 32-30 वर्ष तक राज्य की सेवा की, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद राज्य में बसने का अधिकार तक नहीं दिया गया। उनके बच्चों को भी राज्य सरकार संचालित पेशेवर संस्थानों में दाखिले की अनुमति नहीं थी और न ही वे राज्य में किसी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते थे।

★ अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के प्रभावों का जानकारीपरक विश्लेषण जम्मू-कश्मीर के लोगों को इस बात का यकीन दिला देगा कि वास्तव में दोनों अनुच्छेद अभिशाप थे! अब सकारात्मकता के साथ आगे देखने और उज्ज्वल भविष्य तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत करने का समय आ गया है।

लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के निहितार्थ–

★ सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग करने का और इसे केन्द्र शासित प्रदेश बनाने का रहा है। इस फैसले के तुरंत बाद स्थानीय लोगों द्वारा मनाए जा रहे उत्सव से यह साफ जाहिर था कि इस फैसले का इस क्षेत्र के लोग समर्थन करते हैं, वे लोग जिन्होंने सात दशकों तक राज्य सरकार की अनदेखी और अलगाव का सामना किया है।

★ चेव्वांग रिनचेन के नेतृत्व में लद्दाख के बहादुर नागरिकों ने 1948 में पाकिस्तानी सेना के द्वारा प्रायोजित जन जातीय छापामारी का कड़ा विरोध किया था। इस विरोध से भारतीय सेना को वहां तक पहुंचने का समय मिला जिसके बाद सेना ने जनजातीय छापेमारों के वेश में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से खदेड़ा और सोनम नोरबु के नेतृत्व में क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से भारतीय वायु सेना ने लेह में अहम हवाई क्षेत्र स्थापित किया जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि जांस्कार तक पहुंच चुके उन छापेमारों को, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले रास्ते से पूरी तरह से हटाया दिया जाए।

★ इस क्षेत्र के लोग भारत की सेना के साथ भारत-चीन युद्ध 1962, भारत-पाकिस्तान

युद्ध 1965 और 1999 के करगिल युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इसके अलावा इन्होंने भारतीय सेना को दुनिया के सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र, सियाचिन पर नियंत्रण स्थापित करने में भी काफी सहायता की थी जिसे पाकिस्तान ने रणनीतिक फायदे के लिए बेहद गोपनीय ढंग से अपने कब्जे में करने की साजिश की थी।

- श्रीनगर में मौजूद सरकार ने कभी भी लद्दाख के नागरिकों को उनका हिस्सा नहीं दिया। राज्य के 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल वाला हिस्सा होने के बाद भी इस क्षेत्र को कम जनसंख्या और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण दशकों तक अनदेखा किया गया।
- इसके परिणामस्वरूप संसाधन और क्षमता में संपन्न होने के बाद भी यहां विकास की काफी कमी रही। इस क्षेत्र की जातीय-भाषीय विरासत को लुप्त होने दिया जाता रहा जबतक की एक लोकप्रिय आंदोलन ने सरकार को स्वायत्त पहाड़ी परिषद बनाने पर मजबूर नहीं किया।
- भारत की स्वतंत्रता और 'जन जातीय छापामारी' के बाद 1949 में चीन ने नुबरा घाटी से शिनजियांग तक व्यापार बंद कर दिया था। इसकी वजह से यहां के लोगों का जीवन काफी प्रभावित हुआ। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लेने से स्थिति और भी खराब हो गई। इस वजह से लद्दाख के लोग जो मुख्य रूप से व्यापार पर निर्भर थे, आभाव और अनिश्चितता में जीने लगे। यह क्षेत्र जो एक समय में दुनिया की सबसे अधिक व्यावसायिक क्रॉसरोड हुआ करता था वह अचानक पूरी तरह खाली और अलग-थलग हो गया।
- 1995 में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी परिषद के गठन से पहले तक इस क्षेत्र में उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की, शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं थी। 1974 में पर्यटन के क्षेत्र में लद्दाख में कुछ अवसर दिखने के बाद रोजगार के कुछ नए माध्यम यहां शुरू हुए और परिषद के प्रयासों से अच्छी तरह पनपने लगे।
- केन्द्र शासित प्रदेश के तौर पर स्थापित होने के बाद संभवतः नई राजधानी में यहां नए दफ्तरों को बनाने की जरूरत महसूस होगी जिससे निर्माण कार्यों में बड़ा निवेश आएगा।
- नई सरकारी नौकरियां तैयार होंगी, रोजगार का सृजन होगा, केन्द्रीय सहायता मिल सकेगी और इस क्षेत्र को निवेश भी मिलेगा। साथ ही, स्थानीय लोगों को इस बात की चिंता भी नहीं होगी कि यहां आने वाला निवेश श्रीनगर डायवर्ट हो जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में यहां काफी विकास होगा, विशेष तौर पर वैभवशाली पर्यटन के क्षेत्र में काम तेजी से आगे बढ़ सकेगा।

अनुच्छेद 370,35ए : अंतरराष्ट्रीयकरण करने में क्यों विफल हुआ पाकिस्तान!

- पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपना पद संभालने के बाद से लगातार कोशिश करते रहे हैं कि भारत किसी भी तरह उनसे बातचीत करने को राजी हो जाए। इसका कारण उनका भारत-प्रेम नहीं बल्कि पाकिस्तान की खस्ता आर्थिक हालत थी।
- अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन की मौजूदा एकध्रुवीय व्यवस्था संभवतः अगले एक या दो दशक में बदल सकती है। अमेरिका और चीन दोनों ही इस वक्त भारत को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकते। अमेरिका अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन में यथास्थिति बनाए रखने के लिए भारत का साथ चाहता है तो चीन, पड़ोसी होने के नाते भारत को फिलहान साथ रखना चाहता है।
- पाकिस्तान मानता है कि चीन उसका सदाबहार मित्र राष्ट्र है। यही कारण है कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने के फैसले के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी सीधे चीन दौड़े। पाकिस्तान की मंशा थी कि चीन एक सीधा कूटनीतिक संदेश दे जिसमें भारत को लताड़ लगाई जाए। परंतु चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया।
- अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मोर्गन ओर्टेगस ने धारा 370 पर कहा कि ''ये भारत का आंतरिक मामला है।" पाकिस्तान को रूस से भी कोई उम्मीद हाथ नहीं लगी, बल्कि रूस ने तो साफ तौर पर कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाना तथा राज्य का पुनर्गठन "भारत के संविधान के अंतर्गत ही किया गया है।
- पाकिस्तान लगातार अपने को मुस्लिम उम्मा यानि मुस्लिम बिरादर देशों का नेता बताता रहा है। परन्तु किसी मुस्लिम देश ने अभी तक पाकिस्तान के पक्ष में बयान नहीं दिया है। संयुक्त अरब अमीरात ने खुलकर कहा कि जम्मू-कश्मीर में किया गया बदलाव भारत का अंदरूनी मामला हैं।
- मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का-मदीना के कारण सउदी अरब की सुन्नी मुस्लिम राष्ट्रों के बीच भी हैसियत एक मुखिया जैसी है, लेकिन धारा 370 खत्म होने के एक हफ्ते के भीतर ही सउदी अरब की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी अरामको के भारतीय कंपनी रिलायंस में एक लाख करोड़ रूपये से ज्यादा के निवेश की घोषणा हुई।
- पड़ोसी देशों में से श्रीलंका,मालदीव और बांग्लादेश ने खुलकर भारत के पक्ष में बयान दिया है।
- भारत इस समय दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में गिना जाता है। उधर 80 के दशक के बाद पाकिस्तान ने सिर्फ कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता पैदा करने में ही निवेश

किया है।

- भारत का चीन और अमेरिका के साथ भी अच्छा खासा कारोबार है- पाकिस्तान को इन दोनों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। अपनी कमजोर आर्थिक हैसियत के कारण आज ये मुल्क इस हालत में नहीं है कि किसी भी देश में अपनी बात को मनवाने की हैसियत रखता हो।

दीनदयाल उपाध्याय और अनुच्छेद 370

- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में जनसंघ की स्थापना 21 अक्तूबर, 1951 को हुई थी। मौलिक अधिकारों की रक्षा, सामाजिक हितों का पोषण, जम्मू-कश्मीर के पूर्ण अधिमिलन के साथ अखंड भारत की स्थापना जैसे मुद्दों को जनसंघ ने अपने प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल किया।
- जनसंघ की तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक 12-10 फरवरी, 1952 को दिल्ली में हुई। बैठक में दीनदयाल उपाध्याय भी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए।
- अन्य प्रस्तावों के साथ जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ में कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पारित किया, "जम्मू-कश्मीर राज्य का भी भारत के साथ उसी प्रकार का पूर्ण विलय करना चाहिए, जिस तरह भारत संघ में सम्मिलित सभी राज्यों का किया गया है।"
- दिल्ली में 14-15 जून को भारतीय जनंसघ की दूसरी राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई। बैठक में जम्मू-कश्मीर को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया और निर्णय लिया गया कि 29 जून, 1952 को देश भर में 'जम्मू-कश्मीर दिवस' मनाया जाएगा।
- 'जम्मू-कश्मीर दिवस' के मौके पर कानपुर की सार्वजनिक सभा में दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, "कश्मीर की समस्या किसी दल, वर्ग और संप्रदाय की समस्या नहीं है, वह सम्पूर्ण राष्ट्र के जीवन-मरण की समस्या है।
- 24 जुलाई को नेहरू-शेख के बीच एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली एकॉर्ड अथवा जुलाई समझौते के नाम से जाना जाता है।
- इस समझौते के चार दिन बाद दीनदयाल उपाध्याय ने मेरठ में सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। सभा में उन्होंने जुलाई समझौते की पृथक ध्वज और सीमित मौलिक अधिकारों की शर्तों की आलोचना करते हुए कहा, "कश्मीर के साथ हुए तथाकथित समझौते की शर्तों में ध्वज और मौलिक अधिकार सम्बन्धी शर्तों को ऐतिहासिक कारणों से नहीं, बल्कि साम्प्रदायिक कारणों से इस रूप में रखा गया है – यह केवल मात्र नेहरूजी के हाथों साम्प्रदायिकता की विजय है।"
- दीनदयाल उपाध्याय ने एक सभा में कहा कि "सच तो यह है कि सरदार पटेल के

निधन, नेहरूजी की तुष्टिकरण की नीति और संयुक्त राष्ट्र संघ में जम्मू-कश्मीर के प्रश्न की उपस्थिति से उत्पन्न परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाकर शेख अब्दुल्ला तीसरे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। सत्य प्रकट हो गया है, अब यह भारत की जनता को निर्णय करना है कि वह सत्य का मुकाबला करती है अथवा आँखे बंद कर सत्य को देखने से इनकार करती है।"

- देश की एकता को सुनिश्चित करने में जनसंघ को सबसे बड़ी सफलता 1959 में मिली। इस साल राज्य के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण अधिनियम स्वीकृत किये गए। पहला, वहां जाने के लिए परमिट व्यवस्था बनी हुई थी और राज्य सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। जनंसघ के बैंगलौर अधिवेशन में तय किया गया कि इस सम्बन्ध में जनता को जागरूक किया जाना चाहिए।
- देशभर में 8 फरवरी, 1959 को 'कश्मीर दिवस' मनाने का फैसला लिया गया। परिणामस्वरूप परमिट व्यवस्था 1 अप्रैल, 1959 को समाप्त कर दी गयी। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का निर्णय वहां की विधानमंडल ने 1 अप्रैल, 1959 को किया। हालांकि, यह सभी प्रावधान अनुच्छेद 370 के कारण वहां लागू नहीं हुए थे।
- जनसंघ का मनोबल कभी कम नहीं हुआ। उनकी हर केंद्रीय कार्यसमिति, प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय अधिवेशन में अनुच्छेद 370 को हटाने पर प्रस्ताव पारित किये गए। कानपुर में 15 जनवरी, 1966 को केंद्रीय समिति की बैठक हुई, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय भी शामिल थे। इस समिति ने निर्णय लिया, "जम्मू-कश्मीर राज्य का जो भाग हमारे पास है उसके एकीकरण की संवैधानिक पूर्ति का प्रश्न भारत का आतंरिक मामला है।"
- अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर और शेष भारत के लोगों के बीच एक मनोवैज्ञानिक रूकावट पैदा कर रहा है। राष्ट्र-विरोधी तत्त्व और पाकिस्तानी एजेंट सदैव इसका लाभ उठाकर भारत के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं।
- डॉ. मुखर्जी के साथ दीनदयाल उपाध्याय के वैचारिक अधिष्ठान पर 1980 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का उदय हुआ। साल 1952 में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की मांग डॉ. मुखर्जी ने उठाई और बाद में दीनदयाल उपाध्याय ने उसे जनता के समक्ष चर्चा का मुद्दा बनाया।
- पंजाब और जम्मू-कश्मीर सीमा पर 11 मई को डॉ. मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी का आधार परमिट का होना नहीं था। जम्मू-कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव एम. के. किदवई ने लोकसभा स्पीकर को टेलीग्राम और पत्र लिखकर बताया कि डॉ. मुखर्जी को पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत गिरफ्तार कर

लिया गया है।

- समाचार-पत्रों ने खुलकर सरकार पर आरोप लगाया कि डॉ. मुखर्जी की गिरफ्तारी के पीछे नेहरू सरकार का हाथ है। उस समय नेशनल कांफ्रेंस के सचिव मौलाना मसूदी भी राज्य की पुलिस के साथ मौजूद थे।
- शेख अब्दुल्ला ने डॉ. मुखर्जी को श्रीनगर में नजरबन्द करके रखा था। उनकी गिरफ़्तारी के विरोध में देश भर में प्रदर्शन होने लगे। दिल्ली सत्याग्रहियों का केंद्र था, लेकिन वे अब सीधे पठानकोट की ओर जाने लगे। सैकड़ों की संख्या में पंजाब और जम्मू-कश्मीर की सीमा पर सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया जाने लगा।
- जनसंघ के इस सत्याग्रह में हिस्सा लेने वाले अधिकतर सामान्य नागरिक थे। जिनका राजनीति खासकर जनसंघ से कोई सम्बन्ध नहीं था। उन्हें डॉ. मुखर्जी के जम्मू-कश्मीर को लेकर विचार एवं उद्देश्य समझ आ रहे थे। इसलिए इस मुद्दे पर जनसंघ को हर वर्ग का सहयोग मिल रहा था। प्रश्न राष्ट्रीयता का था, जबकि उसे नेहरू व्यक्तिगत और राजनैतिक नजरिये देख रहे थे। उन्हें लगता था कि जनसंघ का सीधा मुकाबला कांग्रेस से न हो जाए।
- सत्याग्रह का समापन डॉ. मुखर्जी की 'राज्य प्रायोजित हत्या के साथ हुआ। श्रीनगर में नजरबंदी के दौरान 23 जून 1953, को उनका निधन हो गया। डॉ. मुखर्जी का पार्थिव शरीर श्रीनगर से कोलकाता 24 जून, 1953 को लाया गया। उस दिन दो लाख से अधिक लोग अपने नेता को श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए।
- कोलकाता में जब डॉ. मुखर्जी की अंतिम यात्रा निकाली गयी, तो उसमें शामिल लोग एक ही बात दोहरा रहे थे, 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या हुआ? 'जहर दिया गया', किसने दिया?
- दक्षिण कोलकाता से लोकसभा के सदस्य रहे डॉ. मुखर्जी 44 दिनों तक जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी में कैद रहे।

(खण्ड – 6)

चयनित संदर्भ सूची

- दीनदयाल उपाध्याय सम्पूर्ण वांग्मय, खण्ड 3,पृष्ठ संख्या- 65-71
- दीनदयाल उपाध्याय सम्पूर्ण वांग्मय, खण्ड- 8, पृष्ठ संख्या– 140-143
- Atal Bihari Vajpayee : Four Decades In Parliament – 1 Page Number - 410-419
- Lok Sabha Debates (Vol- XXXV)
- Constitutional Amendment Bill in Lok Sabha (Sept, Nov, Dec) (1964)
- Constituent Assembly Debates (Vol । X)
- भारतीय जनसंघ, नीतियाँ एवं घोषणा पत्र, खण्ड- 1, पृष्ठ संख्या- 263-276
- एकात्म भारत का संकल्प, डॉ. मुखर्जी और जम्मू-कश्मीर 1946-1953 - देवेश खंडेलवाल
- Election manifestoes party document- vol 1 Page Number – 361
- चुनाव घोषणापत्र- 2014
- चुनाव घोषणापत्र- 2019
- अनुच्छेद 370 शंकाओं का समाधान
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख : यात्रा एकात्मता की – अरुण कुमार
- मिल गया छुटकारा : अनुच्छेद 370,35ए जम्मू –कश्मीर की अवाम के लिए रोड़े थे और कुछ नहीं – आभा खन्ना
- लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के निहितार्थ – आलोक बंसल
- अनुच्छेद 370/35ए : अन्तरराष्ट्रीय करने में क्यों विफल हुआ पाकिस्तान!- उमेश उपाध्याय
- दीनदयाल उपाध्याय और अनुच्छेद 370 - देवेश खंडेलवाल

नेहरू ने धारा 370 को एक अंतरिम उपाय के रूप में माना

नेहरू ने भी धारा 370 को एक अंतरिम उपाय माना है। 24 जुलाई 1952 को संसद में बोलते हुए, उन्होंने कहाः हम सभी विभिन्न कारकों के कारण इसे तरल अवस्था में छोड़ना चाहते थे और धीरे-धीरे संबंधों को विकसित करना चाहते हैं- कानूनी और संवैधानिक संबंध। इसके परिणामस्वरूप हमारे संविधान में एक असामान्य प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान अब अनुच्छेद XX, भाग XXI, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान में है। "7 अगस्त 1952 को, नेहरू ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 370 अंतिम नहीं था और यह केवल उन तरीकों को निर्धारित करता है, जिनसे अन्य विषयों को बाद में जोड़ा जा सकता है।"

[Source: Jagmohan, My Frozen Turbulence in Kashmir, New Delhi: Allied Publishers, 12th revised edition, 2017, Chapter: XXIV – Undoing the Negative Politics of Article 370]

हसरत मोहानी

हसरत मोहानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक नेता और एक प्रसिद्ध उर्दू कवि थे। इन्होंने 1921 में 'इंकलाब जिंदाबाद' का नारा गढ़ा।

17 अक्टूबर 1949 को, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार ने संविधान सभा में अनुच्छेद 306ए (बाद में अनुच्छेद 370 के रूप में पुनः नामांकित) का मसौदा पेश किया। इस अनुच्छेद ने कश्मीर को भारत के संघीय ढांचे में एक विशेष दर्जा दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक मौलाना हसरत मोहानी ने उन्हें टोकते हुए स्पष्ट रूप से पूछाः 'यह भेदभाव क्यों है?'

हसरत मोहानी के भाषण की मुख्य बातें:

- आप यह भेदभाव क्यों करते हैं? श्री अय्यंगार ने स्वयं स्वीकार किया है कि कश्मीर राज्य का प्रशासन बहुत अच्छे आधार पर नहीं है।
- मैं किसी भी विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे इस तरह की बात पर आपत्ति है। यदि आप कश्मीर के महाराजा को ये रियायतें देते हैं, तो आपको बड़ौदा के बंबई में विलय के बारे में भी अपना फैसला वापस लेना चाहिए।

धारा 370 को क्यों हटना चाहिए था ?

93% शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों की संख्या में वृद्धि।

96% सीमा के तनाव से परेशान लद्दाख का आदिवासी समुदाय।

47% महिला आबादी के खिलाफ पक्षपातपूर्ण

73 साल की सच्ची आजादी का जश्न

संविधान को बरकरार रखा

अनुच्छेद 370 को अस्थायी माना जाता था क्योंकि इसे "अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान" नामक संविधान के भाग 21 के तहत शामिल किया गया था।

अनुच्छेद 356 (1) (बी) राष्ट्रपति को संसद को राज्य विधायिका की शक्तियों को सौंपने की अनुमति देता है, जबतक राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू है।

अनुच्छेद (370) (3) राष्ट्रपति को एक गजट अधिसूचना जारी करने और अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे को रद्द करने की अनुमति देता है।

अनुच्छेद 35A को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से डाला गया था, इसलिए इसमें संसदीय मंजूरी का अभाव था।

प्रगति का रास्ता

निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा निवेश में रुचि लेना।

10% शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण।

बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, आरटीई अधिनियम और LGBTQ अधिकारों सहित अन्य 108 कानून अब लागू होंगे।

आगामी चुनावों और विकास में युवा हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी।

लद्दाख आध्यात्मिक पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन, इको पर्यटन और सौर ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित करना।

ये कदम जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को मुख्यधारा में लाएंगे, साथ ही उन्हें उनके कौशल और प्रतिभा को प्रदर्शित करने के अनगिनत अवसर प्रदान करेंगे। इससे वहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, व्यापार–उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और आपसी दूरियां मिटेंगी।

— श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे संगठन का सदस्य हूँ, जिसने सदा कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाये रखने के लिए संघर्ष किया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया, यह उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। इस संघर्ष में भागीदार बने सभी कार्यकर्ताओं व राष्ट्रभक्तों को बधाई।

— श्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय गृहमंत्री

संविधान के अनुच्छेद 370 एवं 35A को निरस्त करने के ऐतिहासिक निर्णय एवं उपलब्धि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी एवं इस फैसले का समर्थन करने वाले सभी संसद सदस्यों को हृदय से कोटि –कोटि धन्यवाद।

— श्री जेपी नड्डा , भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

9, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

फोन : 011-23005850, ईमेल : office@spmrf.org